Sustainable Development: Theory, Praxis and Solution

Dr. Nidhi Mishra
Dr. Lalita K. Sharma

Sustainable Development: Theory, Praxis and Solution

Chief Editor
Dr. Nidhi Mishra
Assistant Professor, Dept. of English
Govind Sarang Govt. Law College
Bhatapara, Chhattisgarh

Executive Editor
Dr. Lalita K. Sharma
Assistant Professor, Dept. of Commerce
Guru Nanak Khalsa Girls College
Sang Dhesian, Goraya, Jalandhar, Punjab

asian press books

Text © Dr. Lalita K. Sharma 2021

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, or otherwise circulated without the copyright owner's prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system or transmitted in any form or by any other means without the permission of the copyright owner.

Publisher
ASIAN PRESS BOOKS
612, Saltee Plaza, 6th Floor,
1/G Khudiram Bose Sarani
Jessore Road, Kolkata-700080
Mob: 7001813717
www.asianpress.in

1st Edition March 2021

ISBN: 978-81-950855-4-5

Paperback: ₹500/-

Contents

Sr. No.	Chapter Title/Author	Page No.
Part I: Environmental Concerns		
Chapter 1	**The Concept of Third World and Third World Feminism** *Dr. Nidhi Mishra*	1-6
Chapter 2	**Impact of Environmental Training on Green Process Innovation** *Dr. Vikram Sandhu, Dr. Lalita K. Sharma & Dr. Heena Atwal*	7-28
Chapter 3	**Ecocriticism in Indian Fictions and Environmental Concerns** *Hem Kumari Patel*	29-34
Chapter 4	**Representation of Nature in Anglo-Saxon Poetry** *Aditi Saini*	35-37
Chapter 5	**A Review: Environment and Environmental Movements** *Dr. Preeti Soni*	38-42
Chapter 6	**Environmental and Social Issues Plaguing India** *Dr. Rita Diwan*	43-48
Chapter 7	**A Study of Biodiversity Profile of India** *Dr. Parwati Patel*	49-59
Chapter 8	**Loss of Biodiversity in India: A Study** *Rajesh Ghosle*	60-67
Chapter 9	**A Study of Endangered Medicinal Plant Species in India** *Dr. Kaushilya Sahu*	68-74
Chapter 10	**A Study on Accounting and Reporting of Natural Resources** *Ramesh. L*	75-86
Part II: Sustainable Development		
Chapter 11	**Sustainable Development and Constitutional Provisions** *Dr. A. L. Dhruwanshi*	87-94

CHAPTER 11

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONSTITUTIONAL PROVISIONS

Dr. A. L. Dhruwanshi
Assistant Professor
Department of Political Science
Govind Sarang Govt. Law College
Bhatapara, Chhattisgarh

ABSTRACT

With the advent of technology, Human civilization has catapulted into the phase of industrialization and globalization. Many years had passed exploiting the environment without paying any heed to the fact that it also has serious negative implication on our fragile ecosystem. Subsequently, many species annihilated, became extinct and some on the verge of being extinct. It coupled with climatic catastrophes like acid rain, tsunami, drought, flood, earthquakes, massive landslides and most recently, the onslaught of unknown virus called Coronavirus. Its only in late twentieth century that humans gradually started to know the negative side effects of uncontrolled industrialization and exploitation of natural resources. People began to realize the need of sustainable development for betterment of human civilization. Sustainable development in simple words is balanced development. It is a development within limits of environment and does not affect environment negatively. Our constitution, originally, did not contain any direct provision regarding the protection of natural environment. However, after the United Nations Conference on Human Environment, held in Stockholm in 1972, Indian constitution was amended to include protection of the environment as a constitutional mandate. Environment related legislation came very late in 1972 with Wild Life Protection Act 1971. The forty second amendment (Fundamental Duties) Clause (g) to Article 51A of the Indian constitution made it a fundamental duty to protect and improve the natural environment. Government has envisaged many environmental laws and constitutional provisions ensuring sustainable development but the main problem

lies in its strict implementation. Unless, these constitutional provisions are implemented strictly they fail the purpose for which they have been created.

Keywords: Sustainable Development, Constitutional Provisions, Laws, Environment

1.0 INTRODUCTION

With the advent of technology, Human civilization has catapulted into the phase of industrialization and globalization. Many years had passed exploiting the environment without paying any heed to the fact that it also has serious negative implication on our fragile ecosystem. Subsequently, many species annihilated, became extinct and some on the verge of being extinct. It coupled with climatic catastrophes like acid rain, tsunami, drought, flood, earthquakes, massive landslides and most recently, the onslaught of unknown virus called Coronavirus. Its only in late twentieth century that humans gradually started to know the negative side effects of uncontrolled industrialization and exploitation of natural resources. People began to realize the need of sustainable development for betterment of human civilization. Sustainable development in simple words is balanced development. It is a development within limits of environment and does not affect environment negatively. In our *common future, Burtland Report (1987)* defines Sustainable development, "is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (Burtland Report, 1987). Sustainable Development Commission further defines Sustainable Development as, Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (Sustainable Development Commission Report, Para 1).

2.0 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONSTITUTIONAL PROVISIONS

India has been trying to achieve sustainable development once it realized negative side effects of unbridled development and incessant exploitation of natural resources. After the Bhopal Gas Tragedy in 1984, India became more serious towards sustainability and saving environment. With several flora and fauna species endangered, government realized that amendments should be made in the constitution as well as new laws should be created to save the ecosystem and environment. In pursuance of these goals, several constitutional provisions were envisaged. Some of these are:

- Our constitution, originally, did not contain any direct provision regarding the protection of natural environment.
- However, after the United Nations Conference on Human Environment, held in Stockholm in 1972, Indian constitution was amended to include protection of the environment as a constitutional mandate.
- Environment related legislation came very late in 1972 with Wild Life Protection Act 1971.
- The forty second amendment (Fundamental Duties) Clause (g) to Article 51A of the Indian constitution made it a fundamental duty to protect and improve the natural environment.
- Clause (g) to Article 51A of the Indian constitution states "It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and have compassion for living creatures."
- There is a directive, given to the State as one of the Directive Principles of State Policy regarding the protection and improvement of the environment.
- Article 48A states "The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country".
- Article 21 of the Indian Constitution assures the citizens of India the right to a healthy environment.
- The Department of Environment was established in India in 1980 to ensure a healthy environment for the country. This later became the Ministry of Environment and Forests (MoEF) in 1985.
- The Environment Protection Act of 1986 (EPA) came into force soon after the Bhopal Gas Tragedy and is considered umbrella legislation as it fills many lacunae in the existing legislations.

3.0 LAWS RELATED TO POLLUTION

3.1 The Water (Prevention and Control of Pollution) Act of 1974 and Amendment, 1988

Some important provisions of this Act are given below:

- The act vests regulatory authority in State Pollution Control Boards to establish and enforce effluent standards for factories.

- A Central Pollution Control Board performs the same functions for Union Territories and formulates policies and coordinates activities of different State Boards.
- The Act grants power to SPCB and CPCB to test equipment and to take the sample for the purpose of analysis.
- Prior to its amendment in 1988, enforcement under the Act was achieved through criminal prosecutions initiated by the Boards.
- The 1988 amendment act empowered SPCB and CPCB to close a defaulting industrial plant.

3.2 The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act of 1977

- The water cess act was passed to generate financial resources to meet expenses of the Central and State Pollution Boards.
- The act creates economic incentives for pollution control and requires local authorities and certain designated industries to pay a cess (tax) for water effluent discharge.
- The Central Government, after deducting the expenses of collection, pays the central and state boards such sums, as it seems necessary.
- To encourage capital investment in pollution control, the Act gives a polluter a 70% rebate of the applicable cess upon installing effluent treatment equipment.

3.3 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act of 1981 and amendment, 1987

- To implement the decisions taken at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, Parliament enacted the nationwide Air Act.
- The main objectives of this Act are to improve the quality of air and to prevent, control and abate air pollution in the country.

3.3.1 Important provisions of this act are given below

- The air act's framework is similar to that of the water act of 1974.
- The air act expanded the authority of the central and state boards established under the water act, to include air pollution control.
- States not having water pollution boards were required to set up air pollution boards.
- Under the air act, all industries operating within designated air pollution control areas

must obtain "consent" (permit) from the state boards.

- The states are required to prescribe emission standards for industry and automobiles after consulting the central board and noting its ambient air quality standards.
- The act grants power to SPCB and to test equipment and to take the sample for the purpose of analysis from any chimney, fly ash or dust or any other.
- Prior to its amendment in 1988, enforcement under the act was achieved through criminal prosecutions initiated by the boards.
- The 1988 amendment act empowered SPCB and CPCB to close a defaulting industrial plant.
- Notably, the 1987 amendment introduced a citizen's suit provision into the air act and extended the act to include noise pollution.

3.4 Environment Protection Act 1986

- Due to the occurrence of 'Bhopal Gas Tragedy', the Government of India enacted the Environment act of 1986.
- The purpose of the Environment act is to implement the decisions of the United Nations Conference on the Human Environment of 1972.
- The decisions relate to the protection and improvement of the human environment and the prevention of hazards to human beings, other living creatures, plants and property.
- The act is an "umbrella" for legislations designed to provide a framework for central government, coordination of the activities of various central and state authorities established under previous acts, such as the water act and the air act.
- In this act, main emphasis is given to "Environment", defined to include water, air and land and the inter-relationships which exist among water, air and land and human beings and other living creatures, plants, micro-organisms and property.
- "Environmental pollution" is the presence of pollutant, defined as any solid, liquid or gaseous substance present in such a concentration as may be or may tend to be injurious to the environment.
- "Hazardous substances" include any substance or preparation, which may cause harm to human beings, other living creatures, plants, microorganisms, property or the environment.

- This Act provides Central Government full power for the purpose of protecting and improving the quality of the environment.

3.4.1 The main provisions of this act are given below

- The Act empowers the centre to "take all such measures as it deems necessary".
- By virtue of this act, Central Government has armed itself with considerable powers which include,
- coordination of action by state,
- Planning and execution of nationwide programmes,
- laying down environmental quality standards, especially those governing emission or discharge of environmental pollutants,
- Placing restriction on the location of industries and so on.
- Authorities to issue direct orders, included orders to close, prohibit or regulate any industry.
- Power of entry for examination, testing of equipment and other purposes and power to analyse the sample of air, water, soil or any other substance from any place.
- The act explicitly prohibits discharges of environmental pollutants in excess of prescribed regulatory standards.
- There is also a specific prohibition against handling hazardous substances except those in compliance with regulatory procedures and standards.
- The act provides provision for penalties. For each failure or contravention, the punishment included a prison term up to five years or fine up to Rs. 1 lakh, or both.
- The act imposed an additional fine of up to Rs. 5,000 for every day of continuing violation.
- If a failure or contravention occurs for more than one year, offender may be punished with imprisonment which may be extended to seven years.
- Section 19 provides that any person, in addition to authorized government officials, may file a complaint with a court alleging an offence under the Act.
- This "Citizens' Suit" provision requires that the person has to give notice of not less than 60 days of the alleged offence of pollution to the Central Government.

3.5 The Ozone Depleting Substances Rules

- The rules are framed under the jurisdiction of Environment (Protection) Act.
- These Rules set the deadlines for phasing out of various ODSs, besides regulating production, trade import and export of ODSs and the product containing ODS.
- These Rules prohibit the use of CFCs in manufacturing various products beyond 1st January 2003 except in metered dose inhaler and for other medical purposes.
- Similarly, use of halons is prohibited after 1st January 2001 except for essential use.
- Other ODSs such as carbon tetrachloride and methylchoroform and CFC for metered dose inhalers can be used upto 1st January 2010.
- Further, the use of methyl bromide has been allowed upto 1st January 2015.
- Since HCFCs are used as interim substitute to replace CFC, these are allowed up to 1st January 2040.

3.6 National Ganga River Basin Authority (NGRBA)

NGRBA has been established through the Gazette notification of the Government of India (Extraordinary) No. 328 dated February 20, 2009 issued at New Delhi with the objectives of (a) ensuring effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management; and (b) maintaining environmental flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable development. NGRBA is mandated to take up regulatory and developmental functions with sustainability needs for effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management. The Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation(MoWR, RD & GR) is the nodal Ministry for the NGRBA. The authority is chaired by the Prime Minister and has as its members the Union Ministers concerned, the Chief Ministers of the States through which Ganga flows, viz., Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal, among others. This initiative is expected to rejuvenate the collective efforts of the Centre and the States for cleaning the river.

4.0 PROTECTING COASTAL ENVIRONMENT AND WETLANDS

4.1 Coastal Regulation Zone (CRZ)

- The coastal stretches of seas, bays, estuaries, creeks, rivers and back waters which are influenced by tidal action are declared "Coastal Regulation Zone" (CRZ) in 1991.
- India has created institutional mechanisms such as National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) and State Coastal Zone Management Authority (SCZMA) for enforcement and monitoring of the CRZ Notification.
- These authorities have been delegated powers under Section 5 of the Environmental (Protection) Act, 1986 to take various measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas.

5.0 CONCLUSION

Government has envisaged many environmental laws and constitutional provisions ensuring sustainable development but the main problem lies in its strict implementation. Unless, these constitutional provisions are implemented strictly they fail the purpose for which they have been created. People participation in ensuing sustainable development is a must. Alone creation of laws and constitutional provisions is not sufficient. People and society as a whole, have to change their mindset regarding it. Government and society need to understand that development should occur with the concurrence of a thriving ecosystem and healthy environment. Small steps by a single individual will result as a giant leap for entire mankind.

REFERENCE

Burtland Commission Report. (1987). *Our Common Future*. Ed Volkor Hauff. Oxford Publication.

http://www.sd-commission.org.uk/pages/what-is-sustainable-development.html. Accessed on 09.01.2021.

https://www.google.com/url?q=https://megbiodiversity.nic.in/sites/default/files/environment-protection-act-1986.pdf. Accessed on 08.01.2021

https://nmcg.nic.in/ngrbaread.aspx. Accessed on 08.01.2021

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coastal_Regulation_Zone Accessed on 08.01.2021.

Sustainable Development: Theory, Praxis and Solution

Dr. Nidhi Mishra
Dr. Lalita K. Sharma

Sustainable Development: Theory, Praxis and Solution

Chief Editor
Dr. Nidhi Mishra
Assistant Professor, Dept. of English
Govind Sarang Govt. Law College
Bhatapara, Chhattisgarh

Executive Editor
Dr. Lalita K. Sharma
Assistant Professor, Dept. of Commerce
Guru Nanak Khalsa Girls College
Sang Dhesian, Goraya, Jalandhar, Punjab

Text © Dr. Lalita K. Sharma 2021

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, or otherwise circulated without the copyright owner's prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system or transmitted in any form or by any other means without the permission of the copyright owner.

Publisher
ASIAN PRESS BOOKS
612, Saltee Plaza, 6th Floor,
1/G Khudiram Bose Sarani
Jessore Road, Kolkata-700080
Mob: 7001813717
www.asianpress.in

1st Edition March 2021

ISBN: 978-81-950855-4-5

Paperback: ₹500/-

Chapter 12 **Ensuring Sustainable Development through National Education Policy 2020** 95-103
Dinesh Chandra Kaushik

Chapter 13 **Transitioning to Green Economy: A Pathway to Sustainable Development** 104-116
Dr. Anshumala Chandangar

Part III: Women Empowerment

Chapter 14 **Legal Provisions in India for Women Empowerment and Sustainability** 117-122
Usha Yadu

Chapter 15 **Panchayat Raj and Women Empowerment** 123-128
Dr. A.L. Dhruwanshi

Chapter 16 **Dalit Women Empowerment in India** 129-138
Dr. Rita Diwan

Chapter 17 **Gender Violence in Indian Society: A Study** 139-143
Dr. Abhilasha Saini

Chapter 18 **Gender Equality and Sustainable Development** 144-148
Dr. Moniya Rakesh Singh

Chapter 19 **Gender Park – A Kerala Government Initiative for Equality and Empowerment** 149-158
Dr. Sujith A S

Chapter 20 **Tribal Women Education: Issues and Challenges** 159-165
Dr. Sangeeta Neelima Lader

Chapter 21 **Creating A Just Society in India** 166-169
Vinay Prabha Minj

Chapter 22 **Psychological Impact of Covid -19 in India: A Study** 170-174
Dr. Vaishali Gautam Hirway

CHAPTER 15

PANCHAYAT RAJ AND WOMEN EMPOWERMENT

Dr. A.L. Dhruwanshi

Assistant Professor

Department of Political Science

Govind Sarang Govt Law College

Bhatapara, Chhattisgarh

ABSTRACT

Women constitute about half of the population of India. Yet, they are way back in attaining the same rights, privileges and opportunities as their male counterparts. The situation of women in India is far from satisfactory. Women face discrimination in sphere of life. India being a patriarchal country has not been able to provide equal rights and opportunities to women. After Vedic civilization where women were considered equal to men, women have been systematically disenfranchised so as to reduce them to a non entity. Most of the women have been living a life of subjugation and suppression. They are denied basic amenities and dignified lives. They have no say regarding their own life. Before marriage they face suppression and domestic violence by their father and brother. After marriage they are brutalized by their husband and in laws. Their autonomy is taken away by family males. If India needs to progress, it should ensure the empowerment of its half of the population i.e. women. Unless and until, women are empowered, countries cannot develop and progress in any sphere. 'Empowerment' means 'giving authority.' Thus, empowering women means giving them authority to take their own decisions. Political participation of women and grassroots democracy have been strengthened considerably by the 73rd and 74th Constitutional Amendment (1992- 1993), that have created new democratic institutions for local governance. It is evident that the 73rd and 74th Amendment has been a milestone in local governance. Panchayat Raj has ushered many changes in the country. Though not to a big extent, but women are now increasing their political participation. The Panchayat system has

given them a new avenue to raise their voice against male hegemony, patriarchal oppression and government apathy.

Keywords – Panchayat Raj, System, Women, Government

1.0 INTRODUCTION

Women constitute about half of the population of India. Yet, they are way back in attaining the same rights, privileges and opportunities as their male counterparts. The situation of women in India is far from satisfactory. Women face discrimination in sphere of life. India being a patriarchal country, has not been able to provide equal rights and opportunities to women. Though after independence, the Government has envisaged many laws and constitutional provisions for women, but still women occupy the lowest rung in the ladder after males. Women have been facing all sort of discrimination in form of caste, class, gender, economic deprivation, education etc. They face domestic violence, abuse, exploitation, sexual assault and all sorts of horror ushered on them by men. Overall, the condition of women in India is dismal and grave. It is high time that we empower women so that they can be a productive workforce in the country and bring harmony in the societal structure of the nation. Panchayat Raj is one of the important ways envisaged by the government in accordance with the aim of women empowerment.

1.1 Status of Women in India

After Vedic civilization where women were considered equal to men, women have been systematically disenfranchised so as to reduce them to a non entity. Most of the women have been living a life of subjugation and suppression. They are denied basic amenities and dignified lives. They have no say regarding their own life. Before marriage they face suppression and domestic violence by their father and brother. After marriage they are brutalized by their husband and in laws. Their autonomy is taken away by family males. They are not given proper education so as to make them lead a subjugated life. Education is often called the key to a better life. Unfortunately, India still has one of the lowest female literacy rates in Asia. As per the India's last census in 2011, the female literacy stands at 65.46% compared to 82.14% of males. estimates show that for every 100 girls in rural India only a single one reaches class 12 and almost 40% of girls leave school even before reaching the fifth standard. India's poverty is one of the main reasons for low literacy among women (*Census Report 2011).* Only 13% of farm is

owned by women across India, however, this figure is very low when it comes to Dalit women in India. About 41% women in India make their living by manual labor *(Census Report 2011)*.

2.0 WOMEN EMPOWERMENT AND PANCHAYAT RAJ

If India needs to progress, it should ensure the empowerment of its half of the population i.e. women. Unless and until, women are empowered, countries cannot develop and progress in any sphere. 'Empowerment' means 'giving authority.' Thus, Empowering Women Means Giving Them Authority To Take Their Own Decisions. Decisions Which Are Progressive And Beneficial For Themselves. These Decisions Will Bring Autonomy And Independence To The Women. Subsequently, Bringing Them Better Opportunities And Better Life. They Will Get education, attain economic independence and hence, autonomy from male hegemony. Women can fight against male brutalization, violence, injustice and deprivation Feeling the need for women empowerment, the government has been envisaging many plans and schemes throughout the years. India's sixth five-year plan (1980-85) introduced Women's Empowerment programmes with an emphasis on 'awareness raising' and 'mobilization'. There has been a major shift in the policy from the concept of "welfare of women" in the 1970s to "development of women" in the 1980s and now from 1990s "empowerment of women". The Government of India has declared the year 2001 as a year for the Empowerment of Women from then on. Now, the paradigm shift has been from 'welfare' to 'empowerment'. he National Policy on Education, Government of India (1986) states that, 'Women become empowered through collective reflection and decision-making. Its parameters are building a positive self-image and self-confidence, developing the ability to think critically, building up group cohesion and fostering decision-making and action; ensuring equal participation in the process of bringing about social change; encouraging group action in order to bring about change in the society; providing the wherewithal for economic independence" *(NEP 1986)*.

Political participation of women and grassroots democracy have been strengthened considerably by the 73rd and 74th Constitutional Amendment (1992- 1993), that have created new democratic institutions for local governance. It provides reservation for women in the Panchayati Raj system. With the advent of this Act, India today has more than 500 district panchayats, around 5,100 block panchayats and more than 2,25,000 village panchayats, approximately 90 municipal corporations,1,500 municipal councils, and 1,800 Nagar panchayats.

And there are also 6, 81, 258 women elected to Gram Panchayats:37, 109 women to Panchayat at the intermediate level and 3153 women Panchayat at the district level. The Panchayat system has helped women in many ways. Some of them are:-

- Bringing forth issues related to women.
- Sensitization on the issues of plight of women
- Since the 73 and 74 amendments, it has been estimated that more than one million women have joined local politics through the panchayat system.
- Strengthening of self help groups, NGOs, MSME and Cooperatives.
- Creating better job opportunities and livelihood through PRI in villages.
- Helping SC ST Women and solving their problems.
- Creating awareness regarding women rights, provisions and laws.
- Eradication of social problems like domestic violence, alcoholism, child marriage etc with help of Panchayat systems.
- Providing immediate relief and legal aid to women victims.
- Informing local administration and government about the ground realities of the situation of women in villages.
- Suggesting and making proposals for women welfare schemes.

2.1 Challenges in Panchayat Raj and Women Participation

Empowering women through the Panchayat System is not an easy task. Women still face discrimination and resistance from men in rural areas. Narrow-minded culture, patriarchal society and low levels of education are reasons reported to be responsible for their low political participation in rural local bodies (Rashmi 1997, Dahlerup 2005, Gochhayat 2013). Further this situation is explained by The Expert Committee on Leveraging Panchayats For Efficient Delivery of Public Goods and Services (2013) in its report "Towards Holistic Panchayat Raj: Twentieth Anniversary Report' states that 'it is not an absence of political will that is making panchayat raj stumble so much as the unevenness of panchayat raj outcomes that is stalling the evolution of the required political will.' There has also been instances of violence against women and unseat them by passing no confidence motion. Some of challenges faced in this regard is

- Unawareness among women due to illiteracy and lack of education

- Resistance by men and Violence against women
- Violence and discrimination against SC ST women
- No support by family and community
- Intimidation by men and village folks.

3.0 SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

We must remember to strengthen the Panchayat Raj system, we have to empower women. Following are few suggestions and recommendations regarding this :-

- Creating awareness among women for political participation
- Increasing literacy rates among women
- Providing adequate educational opportunities to women.
- Safeguarding SC, ST women against caste discrimination and violence.
- Counselling family and community for supporting women in political participation.
- Effective decentralization of local governance.
- Providing more funds for Panchayats for local welfare schemes.
- Involving PRIs in policy making decisions.
- Training of panchayat workers and elected representatives.
- Strengthening NGOs and Cooperatives and coordinating them with Panchayats.
- Ensuring free and fair elections.
- Strict supervision by Collectors in their districts against nuisance created to disrupt functioning of women elected representatives.
- Strict implementation of laws against violence by men.

4.0 CONCLUSION

It is evident that the 73rd and 74th Amendment has been a milestone in local governance. Panchayat Raj has ushered many changes in the country. Though not to a big extent, but women are now increasing their political participation. The Panchayat system has given them a new avenue to raise their voice against male hegemony, patriarchal oppression and government apathy. It is sincerely hoped that in the coming years women will become more aware regarding their rights and privileges and be more proactive in politics. The Panchayat System can be instrumental in women empowerment at the grass root level.

REFERENCE

Dahlerup D. (2005), 'Increasing women's political representation: new trends in gender quotas', edited by Julie Ballington and Azza Karam 'Women in parliament: beyond numbers', Published by International IDEA, Stockholm: 141-53.

Gochhayat, Artatrana (2013), "Political Participation of Women in Gram Panchayat Elections in Odisha: A Case Study of Hindol Block in Dhenkanal District", International Journal of Rural Studies, Volume. 20 No. 2 Oct 2013.

GOI Census Report 2011.

National Education Policy 1986. GOI Press Release.

Rashmi, Arun (1996), "Role of Women in Panchayat Raj: A Status Report", Institute of Social Sciences, New Delhi.

भारत में महिलाओं की स्थिति : विविध आयाम

©
राम आशीष श्रीवास्तव
मनोज कुमार राव

❖ **Publisher :**
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed (Maharashtra)
Pin-431126, vidyawarta@gmail.com

❖ **Printed by :**
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126
www.vidyawarta.com

❖ **Page design & Cover :**
H.P. Office (Source by Google)

❖ **Edition:** April 2022

ISBN 978-93-92584-22-0

❖ **Price : 200/ -**

All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic mechanical, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Responsibility for the facts stated, opinions expressed. Conclusions reached and plagiarism, If any, in this volume is entirely that of the Author. The Publisher bears no responsibility for them. What so ever.Disputes, If any shall be decided by the court at **Beed** (Maharashtra, India)

विवरणिका

१. "छत्तीसगढ़ की नारी विभूतियाँ" एक ऐतिहासिक अध्ययन
महेन्द्र कुमार सार्वा, रायपुर (छ. ग.) —१२
२. भारतीय नारी के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य (छत्तीसगढ़ के विशेष सन्दर्भ में)
शिखा सरकार, दुर्गेश कुमार नेताम, दन्तेवाडा (छ.ग.)—२७
३. महिलाओं के विरूद्ध अपराध
रितु उमाहिया, गुना (म.प्र.) —४०
४. भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं सौदा अभिवाक्
ईश्वर नारायण शर्मा, उज्जैन —५०
५. महिला सशक्तीरण में पंचायती राज की भूमिका
भूपेन्द्र करवन्दे, रायपुर, छत्तीसगढ़ —५७
६. भारत में महिलाओं से सम्बंधित समस्याओं के निवारण हेतु भारतीय कानूनों की भूमिका (एक विश्लेषण)
पंकज कुमार आहिरवार, अम्बिकापुर (छ.ग.) —७५
७. महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक सार्वभौमिक समस्या का रोकथाम और विधिक उपबंध
मोहन सोलंकी, जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ —८६
८. एकल पालक के रूप में भारतीय महिलाओं की स्थिति
ज्योति पांचाल मिस्त्री, इंदौर —९९
९. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम २०१३ द्वारा महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण— भारतीय दण्ड संहिता १८६० के विशेष संदर्भ में
देव प्रकाश दुबे, भाटापारा (छ.ग.) —१११

१०. मातृत्व अवकाश विधिक अध्ययन
नीति निपुनिया सक्सेना, इंदौर —१२१
११. महिलाओं के विरुद्ध अपराध
राम सिंह पटेल, ज्योति प्यासी, छतरपुर म.प्र —१३५
१२. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण
सपना ताम्रकार, धमतरी (छ.ग.) —१४७
१३. महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका
माधवेन्द्र तिवारी, अभिषेक दुबे, अम्बिकापुर (छ.ग.)—१५६
१४. लोक—कल्याणकारी राज्य की उपधारणा और महिलाओं के अधिकार
राम आशीष श्रीवास्तव, भाटापारा—बलौदाबाजार (छ.ग.) —१७०
१५. महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं का अध्ययन
डॉ. अमित कुमार तिवारी, नगरदा (छ.ग.) —१८०
१६. भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं सहभागिता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
एस. रूपेन्द्र राव, सन्त कुमार तिवारी, दीपक कुमार, बिलासपुर (छ.ग.) —१८८
१७. ग्रामीण महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता और सशक्तिकरण अवधारणात्मक विवेचन
रीता दीवान, भाटापारा छत्तीसगढ़ —२०२
१८. वैश्वीकरण के युग में स्त्री सशक्तिकरण
ए. एल. ध्रुवंशी, भाटापारा (छ.ग.) —२१४
१९. बच्चों और किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड —१९ और लॉकडाउन का प्रभाव—समीक्षा
दिनेश कुमार लहरी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) —२३१
२०. नारीवादी मनोविज्ञान
मनोज कुमार राव, रिंकी सिंह, गोरखपुर (उ.प्र.) —२४२

18

वैश्वीकरण के युग में स्त्री सशक्तिकरण

ए. एल. ध्रुवंशी
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा
जिला— बलौदा बाजार, भाटापारा (छ.ग.)

कहने वाले का कुछ नहीं जाता
सहने वाले कमाल करते हैं
कौन ढूंढे जवाब दर्दो के लोग
तो बस सवाल करते हैं "गुलजार"

जहां १७ वीं सदी को पुनर्जागरण का काल, १८ वीं सदी बौद्धिकता का काल, २० वीं सदी को समस्याओं का काल, वहीं २१ वीं सदी को नारी के उत्थान और विकास का काल कहा जाता है। स्त्री किसी भी राष्ट्र और समाज के विकास व उत्थान की मूल धुरी है, माँ तो प्रथम पाठशाला है परिवार का, एक नारी शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, जबकि एक पुरूष शिक्षित होता है तो वह अकेले ही शिक्षित रहता है। किसी भी घर के अस्तित्व की कल्पना स्त्री के अभाव में कदापि नहीं की जा सकती, पुरूष के पास सिर्फ दृष्टि होती है और स्त्री के पास अंर्तदृष्टि इसीलिए कहते हैं एक आदर्श जननी सौ गुरूओं से भी श्रेष्ठ है। धर्म शास्त्र भी कहता है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"(१) जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, सुख शांति व समृद्धि में वृद्धि होती है, इतनी विशिष्टताओं व श्रेष्ठताओं के पश्चात् भी समाज में पुरूषों की

सत्ता कायम रही है और स्त्री को दूसरे दर्जे का स्थान मिला है क्यों ? कई दशकों से पुरूष नारी को वासना की गुड़िया या अपनी सम्पत्ति मानकर उसे भोक्ता बनाया है, यहां तक नारी को वेद पढ़ने तक के लिए अनाधिकारी मानते हैं इसीलिए स्त्री की दषा पर महात्मा गांधी कहते थे "अगर मैं स्त्री का जन्म पाऊँ तो पुरूष की इस धारणा के खिलाफ बगावत कर दूँ कि स्त्री पुरूष के खिलौना बनने को पैदा हुई है।"(२)

प्रकृति का कोई जीव यदि प्रतिकुलता में संघर्ष कर सकता है तो वह है—स्त्री, कोई भी व्यक्ति महिला या पुरूष होने के पहले इंसान होता है और तभी तक इंसान है जब तक वह दूसरों की भावनाओं को अपने स्वार्थों के लिए ठेस न पहुंचाए इतना ही नहीं हमें दूसरों पर किए जाने वाले अत्याचार को भी नहीं सहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे मन में क्षमा की भावना भी होनी चाहिए। भारतीय स्त्रियों में क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। फिर भी पुरूष समाज नारी के स्थान को गौण घोषित किया हुआ है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन या वैदिक काल में सुदृढ़ थी। उस समय महिलाओं को सभा और समिति जैसी सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व मिलता था अपाला और लोपा मुद्रा जैसी महिलाओं ने वेदों की रचना में भी योगदान दिया, लेकिन परिवर्ती काल में स्त्रियों की स्थिति लगातार कमजोर होती गई।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब राजा महाराजाओं या जागीरदारों के विवाह होते थे तब यह प्रथा थी कि राजकुमारी का पिता दहेज के साथ—साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार राजकुमार को सैकड़ों हजारों युवतियां भी दान स्वरूप देता था इन्हें दासियां या बंदिया कहा जाता था, कहलाने को तो ये बंदियां या दासियां ही थी परंतु वास्तव में राजा इनसे दासियों के अतिरिक्त मनचाहा संबंध भी रखते थे, इनके द्वारा उत्पन्न संतानों का विवाह किसी दास या गुलाम से कर देता ताकि उसके अपने नाम पर, सम्मान पर धब्बा न लगे। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब राजा मरता था तो उसकी रानी के साथ प्रायः बंदियों व दासियों को भी राजा की चिता के साथ ही सती हो जाना

पड़ता था, देखिए नारी जाति के साथ कैसा घिनौना दुर्व्यवहार किया जाता था।

अलाउद्दीन ने रानी पद्मनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या अलाउद्दीन की पत्नी नहीं थी पहले ही कई बेगमें व रखैल थी, अलाउद्दीन को पद्मनी हाथ नहीं लगी तो वह निर्लज्ज लौटा नहीं बल्कि कई चालें चली इधर पद्मनी के अतिरिक्त राजा रतन सिंह की कितनी रानियां थी कहते हैं अलाउद्दीन के किले में घुसने की खबर सुनकर १६००० रानियां व दासियों एक साथ चिता में जल गई पद्मनी जैसी परम सुंदर रानी होने पर भी राजा रतन सिंह की कितनी रानियां व दासियां थी। पुरूषों के इसी दृष्टिकोण की खामियाजा स्त्री वर्षो से सहते आ रही हैं।

वेद शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों तथा संत कवियों एवं आचार्यो की लेखों व पुस्तकों में स्त्री की मिथ्या निंदा होती आई है—

ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी।
ये सब ताड़न के अधिकारी।।[३] (तुलसी)

खरबूजा संसार है, नारी छुरी बैन।
पलटू पंजा शेर का, यों नारी का नैन।।[४] (पलटू)

प्लेटो जेसे प्रमुख राजनीतिक विचारक भी पुरूष रूपी अहंकार को भूला न पाया। वह कहता है—

"मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि।
मैं यूनानी उत्पन्न हुआ हूँ, जंगली नहीं।।
मुक्त उत्पन्न हुआ हूँ दास नहीं।
पुरूष उत्पन्न हुआ हूँ स्त्री नहीं।[५]

समाज में पुरूष अपने को श्रेष्ठ मानते आया है और स्त्री को एक ही विचार व संस्कार सिखाया है—

"एक ही धर्म एक व्रत नेमा।
पल वचन मन पति पर प्रेमा।।[६]
पति प्रेम व्रत एक ही पूजा।
इसके सिवा कछु और न दूजा।।[७]

पति की पूजा पत्नी का एक मात्र धर्म है, पति परमेश्वर है, पति को पत्नी प्रसन्न नहीं कर पाई तो जितना भी व्रत रख ले, माला फेर ले, फल विहीन व मूल्य विहीन है पर पति शायद यह भूल जाता है कि क्या पति में परमेश्वर के गुण विद्यमान हैं, परमात्मा की तरह पूज्य है, भगवान के आदर्शो और श्रेष्ठताओं का समावेश है और यदि नही तो परमेश्वर कैसे? पुरूष अनेक विवाह करने के लिए स्वतंत्र है जबकि नारी विधवा विवाह के लिए भी प्रतिबंधित और अपमानित है फिर भी पुरूष सती स्त्री के चरित्र का आलोचक ही नहीं न्यायकर्ता भी बना रहता है। समाज की इसी दोहरी नीति के कारण ही एक निर्दोश नारी दोशी सिद्ध हो जाती है।

तस्वीर का दूसरा रूप यह भी है कि सरकार पंचायतों में ग्रामीण प्रधानों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं, जिससे महिलायें आगे बढेंगी, अपना विकास करेंगी, नारी जाति का मान बढ़ाएगी, परंतु सच कुछ और है, प्रधान पद में तो महिलाएं हैं, प्रभारी कर रहे हैं पुरूष, कहने के लिए महिला सरपंच है लेकिन सरपंची सम्हाले हुए है पति। अचरज की बात है कि संपूर्ण कार्यालयों में ये सरपंच पति कार्य भी कर रहे हैं और सरपंच महिला चार दिवारों में कैद कर दिया गया है।

समाज में पुरूष का वर्चस्व होने से ही स्त्री अपहरण, दुराचरण, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ने लगी, पुरूष अजीब अंतर्विरोध को मानकर चलता है। "दुनिया की सारी बहू, बेटियां मेरे उपभोग के लिए है लेकिन मेरी बहू—बेटी तेरे लिए नहीं" [८] इसी विरोधाभास का शिकार समाज में स्त्री आज तक उठा रही है। इस समाज ने औरत को हमेशा उन्हीं अपराधों के लिए सजा देते आ रही है, जिसकी जिम्मेदार वह है ही नहीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था—, "किसी भी राष्ट्र की उन्नति उस देश की नारी की स्थिति पर निर्भर करती है, भारत मां अगर अपने ऊंचे स्थान से नीचे आई है तो उसका एक मात्र कारण भारत में महिलाओं की बिगड़ती स्थिति है।"[९]

अंग्रेजी की प्रसिद्ध उक्ति "God helps those to help then salves" नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में अक्षरषः सत्य है, वैश्वीकरण के युग में "जब तक नारी पशु बल की दृष्टि से अधिक समर्थ पुरूष की कृपा, दया, सहानुभूति व सहारे की मोहताज रहेगी तब तक स्त्री का कल्याण नहीं होगा।"[१०] पुरूष ने जहां एक ओर प्रकृति का अतिक्रमण किया है वहीं दूसरी ओर स्त्री का शोषण भी किया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक ८ वें मिनट में स्त्री किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है भारत जैसे सभ्यता व संस्कृति के डंका पीटने वाले देश में प्रति ३५ मिनट में एक महिला बलात्कार, ५२ वें मिनट में २२ महिलाओं की दहेज प्रकरण, २३ का अपहरण व ११५ महिलाएँ यौन शोषण का शिकार होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ९५ फीसदी महिलाएँ सामाजिक अवहेलना के भय से अपना प्रकरण उजागर ही नहीं करती।

भारत में स्त्री पुरूष अनुपात कम होने का कारण निर्धनता भी है जहां देश में अभी भी लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य है, जिस देश में बेटे को वंश वृद्धि, कुल दीपक, पिण्डदान व वृद्धावस्था का सहारा माना जाता हो, चिकित्सा जैसे आवश्यक सुविधाओं के अभाव में प्रषवकाल में स्त्रियों की मृत्यु दर उच्च हो, कुपोषण, रक्त की कमी तथा समुचित देखभाल के अभाव में ४० प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हो जाती हो, दहेज रूपी दानव अनेक महिलाओं को काल के गाल में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो उस देश में महिलाओं की संख्या में कमी आती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया जाने वाला भेदभाव और असमानता भी देश में स्त्री–पुरूष अनुपात में कमी का महत्वपूर्ण कारण रहा है। भारत में केरल ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, केरल में प्रति एक हजार पुरूषों पर सर्वाधिक १०३६ महिलाएँ हैं जबकि अरूणाचल प्रदेश में सबसे कम १००० पुरूषों पर ८६१ महिलाएं है। इस अनुपात की तुलना संसार के कुछ विकसित एवं समृद्ध देशों से करें तो पता चलता है कि केरल

राज्य को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में महिलाओं की संख्या तुलनीय नहीं है, सोवियत रूस में तो महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में १४५ प्रति हजार अधिक है।

यदि वास्तव में हमारा देश महिलाओं की घटती हुई संख्या के प्रति संवेदनषील है तो अविलंब हम सभी को इन कमियों, अभावों और बुराइयों की गहराइयों में जाकर इनके निराकरण के लिए उपयोगी ओर सार्थक मार्ग तलाशने होंगे व्यवहारिक, समयबद्ध तथा आवश्यक कार्य योजना का निर्माण कर उस पर अमल करना होगा, प्रत्येक प्रकार के अपनाया जाने वाला भेदभाव और असमानता को दूर करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 'जर्नल लान्सेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक युवा महिलाएं जलकर मरती हैं। जलने की इन घटनाओं में 'रसोई की दुर्घटनाएं कम आत्मदाह या घरेलू हिंसाा अथवा दहेज रूपी दानव की घटनाएं अधिक (ज्यादा) समाहित है। अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों में १५ से ३४ साल के उम्र की महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। अध्ययन के मुताबिक १.६३ लाख महिलायें सालाना जलकर मरती है, जो कि वर्श के सभी मौतों की २ फीसदी है और इसमें १०६ लाख महिलायें युवा हैं। यह आंकड़ा वास्तव में आश्चर्य जनक है, फिर भी समाज में यह मुद्दा उद्वेलित करने वाला मसला नहीं बन सका है, किसी भी अस्पताल के बर्न वार्ड का जायजा लेकर इस हकीकत से रूबरू हुआ जा सकता है। कुछ वर्श पूर्व गुजरात से खबर आई थी वहां प्रति वर्षा ३०० से अधिक महिलाओं की स्टोव फटने से मौत हुई इन आंकड़ों से चिंतित एक पत्रकार ने जब तहकीकात की तो पता चला कि पंप करने वाली स्टोव की तुलना में फटने की संभावना अधिक होती है बत्ती स्टोव का प्रयोग हुआ है जिसके फटने की संभावना नहीं होती, जाहिर है ये तमाम मौतें संदहास्पद कही जा सकती है लेकिन पुलिस द्वारा भी दुर्घटना का मामला दर्ज कर फाइल बंद कर दी जाती है।

कुछ की पीड़ा जीवन जलने से खत्म हो जाता है और कुछ जलती नही तो ठीक से जीती भी नहीं है, आंकड़ों से स्पष्ट होता है

दहेज कम लाने पर वैश्वीकरण के युग मे आज भी ग्रामीण अंचलों में टोनही के संदेह पर न जाने ऐसे कितने घृणित प्रकारों से स्त्रियों की प्रताड़ना आज भी जारी है।

पुरूष समाज में पूर्णतः उन्मुक्तता को पसंद करता है स्वतंत्रता को अपनाता है वहीं स्त्री के लिए नियम बनाता है कि बाल्यकाल में नारी को पिता के वष में पाणिग्रहण अर्थात् विवाहोपरांत पति के वश में पति के मृत्यु होने पर पुत्रों के वश में रहना चाहिए स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि 'नारी चरित्रं पुरूषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः।''[११] अर्थात नारी के चरित्र और पुरूष के भाग्य को विधाता भी नहीं जानता फिर मनुष्य की क्या गणना इस तरह विभिन्न युक्तियों से स्त्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप नारी जीवन अनेक बंधनों में बंध गया। जन्म से मृत्यु तक पुरूष के अधीन कर दिया गया।

वैदिक युग से आज तक भारतीय समाज में स्त्री का स्थान सदैव एक सा नहीं रहा उसकी स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं स्त्री के अस्तित्व को लेकर समाज में दो तरह की धारणाएं प्रचलित है एक श्रद्धा के रूप में और दूसरा वस्तु के रूप में जहां भी स्त्रियों का संदर्भ 'श्रद्धा' से रहा है जननी के कारण सर्वत्र सम्मान की द्रृष्टि से देखी जाती रही है सामंती और पूंजीवादी समाज ने श्रद्धा वाली पुरानी गरिमा को समाप्त कर उसे पूर्णतः 'वस्तु' बना दिया और खिलौना मानकर निरंतर खेलता रहा।

आवश्यकता आज जागरूकता की है महिलाओं को विकास की मूल धारा में सम्मिलित करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से समानता और प्रगति के मार्ग प्रशस्त कराने हेतु अभी तक किए गए प्रावधानों, व्यवस्थाओं, नीतियों, संविधान, संशोधनों, कानूनों, योजनाओं कार्यक्रमों इत्यादि के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं लेकिन उन्नति के इस गति को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। शिक्षा मनुष्य का आभूषण है ओर प्रत्येक समस्याओं का समाधान शिक्षा से ही संभव है तथा स्त्री सशक्तिकरण बिना शिक्षा के

संभव ही नहीं है फिर सर्वतोन्मुखी नारी शिक्षा को अनिवार्य क्यों नहीं कर दिया जाता? कोंख से कब्र तक महिलाओं के हिस्से में सिर्फ तिरस्कार ही क्यों? कब तक अग्निदग्धा में स्नान करती रहेगी स्त्री? दहेज तो दानव है फिर मानव दानव क्यों बन जाता है? स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन ? वंश चक्र का वास्तविक चालक कौन? भारतीय दण्ड संहिता में नारी संरक्षण के लिए जितने अधिक कानून बनाए गए हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं बने हैं फिर भी भारतीय स्त्री शोषित व पीड़ित क्यों?

सारी की सारी मर्यादायें देश की 'सीताओ' के जिम्में क्यों? जबकि 'राम' के नाम पर लड़ने वाले पुरूषों में मर्यादा पुरूषोत्तम की छबि क्यों नहीं दिखाई देती? एक सहज स्वतंत्र षांत और सौम्य जीवन की हकदार स्त्री कब बनेगी?

क्या कभी किसी युवक ने अच्छी वधु प्राप्त करने के लिए किसी पति ने पत्नी की लंबी आयु के लिए या किसी पुत्र ने मां के सुख शांति के लिए व्रत किया है ? नहीं, व्रत तो स्त्री ही करेंगी समाज ने जो मौलिक अधिकार प्रदान किया है मर्यादा के सभी अध्याय का अध्ययन स्त्री को ही करने पड़ते हैं।

स्त्री व पुरूष दोनों ही समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है फिर स्त्री को पुरूष के समकक्ष का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? हमारे देश में स्त्री पुरूषों के अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण बालिका भ्रुण हत्या व बालिका शिशु हत्या है गर्भ में पल रहे मासूम करूण भाव से पुकारती है।

न खिलाना, न पढ़ाना, चाहे न करना किसी राजकुमार से मेरी शादी।

पर मम्मी—पापा मुझे दे दो, बस जिन्दा रहने की आजादी।[१२]

फिर भी व्रैश्वीकरण के युग में भ्रुण हत्या जारी है। हर धर्म महिला को गुलाम बनाए रखने की बात कहता है। हर धर्मगुरू महिला के खिलाफ है किसी धर्म में महिला को न कोई आजादी दी गई है न सम्मान २१ वीं सदी महा परिवर्तन की बेला है नारी शक्ति को उजागर

करने की सदी है। आज भी धर्म नारी की आचार संहिता है और ईश्वर डर का अहसास भी।

स्त्री खुद को दिये गये दुर्गा और देवी जेसे उपनामों से खुश हो लेती है अपनी ताकत खुद नहीं बल्कि कथित देवियों दुर्गाओं के बहाने होना चाहती है, स्त्री खुद में बहुत बड़ी शक्ति है मगर उस पर लेबल, देवी और दुर्गा का ही लगाया जाता है कितनी अजीब विडम्बना है कि एक तरफ स्त्री दुर्गा और देवी के दम्भ से बाहर नहीं निकल पाती तो दूसरी तरफ इसी दुर्गा, इसी देवी को पेट में ही मार दिया जाता है।

जहां कहीं भी महिला ने अपने धर्म अथवा धर्म गुरू का प्रतिकार किया वहां कट्टर पंथियों ने उसका जीना हराम कर दिया। तस्लीमा नसरीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पर सवाल तो यह है कि तस्लीमा जैसे हिम्मत हमारे यहां कितनी महिलायें कर पाती है ? महिलाओं को धर्म जिसे अधर्म कहा जाना चाहिए से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, महिला दिवस की परंपरा भी अजीब है। वर्ष में सम्मान के लिए एक दिन, और अपमानित व प्रताड़ित करने के लिए ३६४ दिन आश्चर्य की बात तो यह है कि महिलायें भी इस दिन महसूस करती हैं कि वे ताकतवार हो गई हैं, सवाल यह है कि हर दिन महिला सषक्तिकरण क्यों नहीं हो सकता ? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समाज में जिस वर्ग को कमजोर समझा जाता है उसे सान्तवना दने का यह एक अच्छा तरीका है। इसी बहाने उसको अहसास दिलाया जाता है कि देखो तुम्हें हम भूले नहीं हैं, तुम्हारी चिंता हमें है, तुम्हारी दशा व दिशा सुधारने के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं फिर वर्ष में कोई एक दिन निश्चित कर लिया जाता है और जोश खरोस से सभा, गोष्ठियां आयोजित कर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ नारे लगाते हैं नई योजनाओं का शुभारंभ कर बीते वर्ष की उपलब्धियों का लेखा—जोखा पेश किया जाता है फिर पूरे वर्ष के लिए उन्हें डिब्बे में बद कर अंधेरे कमरे में फेंक दिया जाता है। इस तरह मनाये जाने वाले दिवसों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, बाल दिवस, श्रमिक दिवस न जाने

कौन—कौन से दिवस? एक दिन के महिला सशक्तिकरण दिवस से उनका कौन सा भला हो जायेगा मुझे समझ में नहीं आता दरअसल ये दिवस मुनादी करते हैं कि ये कमजोर है अजीब है यह परंपरा एक दिन का त्यौहार फिर साल के बाकी दिन घर के भीतर कुटाई बाहर शोषित प्रताड़ित, अत्याचार, बलात्कार क्या है यह सब?

रिश्ते निज रस्ते गए भूले सकल रिवाज।
बहरा बना समाज अब कौन सुने आवाज।[१३]

समाज में नारी को कभी 'देवी' के उदात्त स्थान पर विभूषित किया गया तो कभी पुरूष के 'दासी' कभी 'प्रेरणादायी' बनी तो कभी मन बहलाव के खिलौने। स्त्री को घर, परिवार, समाज में वह स्थान नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वह अधिकारिणी है, चाहे वह सुशिक्षित हो, सुसंस्कारी हो, आधुनिक हो, उच्च, मध्य, निम्न वर्ग की हो वह मात्र देह से ही तौली जाती है।

२१ वीं सदी नारी जागरण का काल है विचार क्रांति लाना समूल स्त्री जाति के जीवनोत्कर्ष के लिए आवश्यक है सुयोग्य महिलाओं को आगे आना होगा और शोषित, पीड़ित नारियों को जीवन जीने की कला सिखाना होगा। जिस गुलामी को महिलायें सदियों से झेलती चली आई है उसका खात्मा स्त्री के द्वारा ही हो तो कितना अच्छा है।

नारी को पताड़ित करना उसकी निंदा करना, उसे स्वभाव से ही झूठा बताना, बकवास करना ही नहीं, अपराध करना भी है, कानूनी तौर पर तो यह लागू है लेकिन ग्रामीण अंचलों तक प्रचार प्रसार भी होना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के कार्यस्थलों पर योन उत्पीड़न रोकने संबंधी आदेश प्रसारित किए गये हैं। जिसके तहत प्रत्येक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न समिति का गठन कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। तथा नारी शक्ति के लिए Pasco Act ds तहत मामला दर्ज हो और fast tract के तहत court में कार्यवाही हो।

नारियां भी फैशन की होड़ में तथा देह अभिमान के वशीभूत

होकर सब कुछ समर्पण कर देती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कॉफी अन्नान ने कहा है कि – "नारियों को टेलीविजन पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए व फिल्मों में अंग प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इससे मनुष्य का मन विचलित होता है और नारी के प्रति पुरूष का दृष्टिकोण विकृत होता है इस पर रोक लगाया जाना चाहिए।"[१४]

भारत में छात्र और छात्राओं की स्कूल जाने वाली संख्या से विदित होता है कि प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात ५५.५ प्रतिशत के मुकाबले ४१.४ प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर ७७.५ प्रतिशत के मुकाबले ६८.५ प्रतिशत पाया जाता है, अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं के संदर्भ में स्थिति और भी खराब है आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की ७५ प्रतिशत बालिकायें और अनुसूचित जनजाति की ६० प्रतिशत बालिकाएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। इससे स्पष्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शासक शिक्षक और अभिभावक और बालक कितना लापरवाह है इससे सुधारकर पालकों को जागरूक करना होगा।

वैश्वीकरण के युग में स्त्री को देश के समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए केवल लक्ष्यों को निर्धारित करने से काम नहीं चलने वाला है, वस्तुतः इन लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए समुचित संसाधन भी जुटाने होंगे सरकारी योजनाओं पर कड़ी नजर भी रखनी होगी ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि स्त्री समानता व स्त्री सशक्तिकरण की योजनाएं कागजों तक सीमित न रह जायें बल्कि क्रियान्वित के वास्तविक धरातल पर भी उतारी जाएँ।

सरकार महिलाओं के लिए सखी सहेली से लेकर विधवा पेंशन योजना लागू की है, इसमें स्त्री न केवल सहनशील बल्कि सशक्त भी होगी शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होगी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर ५० प्रतिशत करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है। महामहिल राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ०४ जून २००९ को संसद के संयुक्त अधिवेशन में

महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाकर ५० प्रतिशत करने की बात की।

आज महिलाओं का विकास तो हो रहा है, लेकिन यह विकास महज कुछ महिलाओं के हिस्से में ही आया है अधिकांश भारतीय महिलायें तो विकास के अर्थ तक नहीं जानती रोजाना सुबह—शाम रोटियों के कुछ टुकड़े मिल जाना ही उनके लिए विकास है और विकास का यह न्यूनतम मापदण्ड भी अधिकांश ग्रामीण महिला श्रमिकों के लिए स्वपनिल स्वप्न ही है।

प्रेस जो लोकतंत्र के चौथे आधार स्तम्भ है समाज में स्त्री शक्ति को अपनी लेखनी जो तलवार के धार से भी तेज है घर—घर तक पहुंचा सकती है नारी जाति का उत्थान व उद्धार कर सकती है ने भी अखबार की बिक्री में वृद्धि के लिए नारी को भोग्या मानकर अर्द्धनग्न रूपों में चित्रित करते रहा है सिनेमा जो जनमानस का आइना है प्रतिबिम्ब है, आधुनिकता के नाम पर पुरूषों की मांग पर नग्नता, भग्नता व अश्लीलता की अवस्था में चित्रित करने का स्त्री को ग्लैमर के रूप में परोसने का कुत्सित कार्य करते रहा है, सेंसर बोर्ड व सरकार को भी ऐसे फिल्म के तस्वीर व धारावाहिकों पर प्रतिबंध लगाना होगा, जिसमें स्त्री के वीभत्स स्वरूपों को ही प्रदर्शित किया हो। शासन के प्रतिबंध या कठोर कानून बनाने से न केवल नारी के सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि स्त्री के अस्मिता की रक्षा भी होगी। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति व नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाये जिससे भारत के सम्मान, स्वाभिमान को जानें, अपने को पहचानें व महान बनने का पुरूषार्थ करें तथा पाश्चात्य संस्कृति को नकारें।

विवाहोपरान्त पति—पत्नि में तालमेल नहीं बैठने पर, जीवन शैली में समझौता नहीं हो पाने पर और भी विभिन्न मार्ग हैं, जिंदगी जीने के लिए स्त्री इन्हें चुनें, हत्या, आत्महत्या या अपराध को अंजाम न दें, सीधे तलाक की बात न करें, तलाक ही एक मात्र उपाय नहीं है लेकिन अगर तलाक ही विकल्प बच जाता है तो पहले अपने आप

से समझौता कर समाधान ढूंढ लें। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अनमोल तोहफा को मौत में तब्दील न करें कभी अपने अर्न्तयात्रा (अन्तर्प्रज्ञा) पर जायें और खोये हुए वजूद को पायें।

आज समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विचार–विमर्ष किया जा रहा है। तीन तलाक हाजी अली जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रही है इसी के परिणाम स्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक–२०२० के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी मानक पर भारत को १८ वां स्थान प्राप्त हुआ है, मंत्रिमण्डल में स्त्रियों की भागीदारी पहले से बढ़कर २३ प्रतिशत हो गई है इसमें भारत विश्व में ६९ वें स्थान पर है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' 'वन स्टॉप सेंटर योजना' महिला हेल्थ लाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है, आर्थिक क्षेत्र में आत्म निर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही है। समाज में भेदभाव या असमानताएं तभी समाप्त होगी जब पुरूष प्रधान समाज की सोच में बदलाव आएगा, स्त्री अधीनस्थ नहीं बल्कि पुरूष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा तो वास्तव में आधुनिक समाज का निर्माण होगा।

भारतीय संविधान में लिंग असमानता को दूर करने के लिए स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक कानून और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक वैधानिक प्रावधान व सकारात्मक कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ (३) स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध प्रदान किया है अनुच्छेद १६ लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद २३ मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात् श्रम आदि का प्रतिशेध करता है स्त्रियों का अनैतिक व्यापार मानव दुर्व्यवहार का ही एक रूप है।

स्त्री समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है भारतीय संविधान स्त्रियों को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है भारत में स्त्रियों के लिए बहूत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाए बनाए हैं, परंतु जमीनी हकीकत इससे पूर्णतः अलग है।

कानून हमारे यहां है लेकिन उनकी परिणति क्या होती है? बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की एफ.आई.आर. तक को प्राथमिकता नहीं दी जाती सच कहें तो स्त्री को अधिकार मिलने में कानून, कागज और कार्यवाही के बीच बड़े अंतराल है इन अंतराल को पाटना पड़ेगा। यह सच है कि भारतीय संविधान में कानूनन स्त्री को पुरूष की बराबरी का अधिकार देकर उसे राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया है लेकिन पारंपरिक दबावों के कारण स्त्री उसका पूरा लाभ नहीं ले पाई क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री की स्वतंत्रता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इस मानसिकता को नारियों को ही बदलना होगा और पुरूषों को मानना होगा स्त्री कल भी महान थी, स्त्री आज भी महान है, पुरूष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है और सदैव आभारी रहेगा। और स्वीकार करेगा।

बीत गये दिन दुःख के सारी, अब आई नारी की बारी।
दान से नहीं षान से है नारी इसके अधिकारी।[९५]

स्त्री समाज के उत्कर्ष में स्त्री को ही आगे आना होगा अन्यथा समाज आरोपित करेगा कि पुरूष नारी उत्थान में बाधक है तो नारी उत्थान में साधक व सहायक नहीं क्योंकि स्त्री जिस घर में उत्पीड़न का शिकार होती है उसी घर में दूसरी स्त्री भी वास करती है, पीड़ित बहू के दर्द को सास् के रूप में, ननद के रूप में अथवा देवरानी के रूप में बांटती नहीं बल्कि बढ़ाती है इसिलिए कहते हैं कि–

''नारी–नारी को न मारे तो नारी कभी न हारे।[९६]

अतः नारी के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार, पापाचार को

दूसरी नारी समाप्त करने में दर्द निवारक बनें तो नारी कभी पराजित नहीं होगी।

निष्कर्षत: स्त्री एवं पुरूष दोनों ही सृष्टि के सृजन एवं मानवीय सभ्यता के विकास में सृजनात्मक भूमिका का निर्माण करते है। पुरूष एवं स्त्री दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक दूसरे के पूरक व सहयोगी है। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों ने विशिष्ट योगदान दी है, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पदों को भी सुशोभित की है, लेकिन विकास की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो जाती वैश्वीकरण के दौर में आज भी समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है यह पहल भी महिलाओं को ही करनी होगी, फेंक देनी होगी उस वह प्राचीन प्रथा को जो स्त्री के विकास में बाधक है। अधर्म व अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाना होगा, घूंघट से बाहर आना होगा, शिक्षा जीवन को प्रकाशित करता है, साहस का निर्माण करता है अत: शिक्षा की उपादेयता को अनिवार्यता में बदलना होगा ग्रामीण अंचलों में भी अधिकार रूपी जागरूकता की ज्योति जलाना होगा अमर्त्यसेन नॉबेल पुरस्कार विजेता ने कहा था। ''यदि अधिकारों का विस्तार कर दिया जाये तो विकास स्वमेव हो जाएगा विकास के लिए अधिकार जरूरी है।'' (१७) अगर स्त्री अपने भीतर की शक्ति को जगा लेती है। पुरूष से छोड़कर नहीं जोड़कर सफल हो जाती है। मां की गरिमा को गौरवान्वित कर लेती है। तो नारी सच्चे अर्थो में सशक्त होगी और इंसान यही कहते नजर आएगा कि–

कोमल है कमजोर नहीं, षक्ति का नाम नारी है।
जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।।

संदर्भ सूची

१. चंद, ब्रम्हकुमार जगदीश —महिला सषक्तिकरण, पृष्ठ — ३५
२. महाभारत में नारी, पृष्ठ — २२, २५
३. भगत, मंजूल एव खान, सुरैया —मंजूल भगत के कथा साहित्य में नारी, पृष्ठ — १४
४. शर्मा, प्रज्ञा —महिला विकास और सशक्तिकरण, पृष्ठ — ११६, ११७
५. सारस्वत, स्वप्निल —महिला विकास एक परिदृश्य, पृष्ठ — ११२
६. शर्मा, पं. श्रीराम —युग निर्माण योजना मई १९९७, पृष्ठ — १६
७. नारी मुक्ति संघर्ष, पृष्ठ — २९, ३१
८. पोद्दार, हनुमान प्रसाद —नारी शिक्षा, पृष्ठ — ७९
९. मनु स्मृति, पृष्ठ — २, ६७
१०. दैनिक भास्कर, ८ मार्च २००७
११. Scourage of V.D. Times of India] 27 May 1975
१२. इल्लस्ट्रेटिड वीकली साप्ताहिक पत्र, २६ नवबंर १९७२
१३. नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट १९८६
१४. नई दुनिया, ७ मई २००७
१५. हरिभूमि, १४ मार्च २००९
१६. नवभारत, २८ मई २००८
१७. महिला विधि भारती, अंक १०३ अप्रेल—जून २०२०, पृष्ठ — १२०—२१

❑❑❑

CONTENTS

S.No.	Titles & Author/s	Pages
1.	DICHOTOMY BETWEEN INDIVIDUAL AND SOCIETY : THE CRISIS IN HUMAN VALUES IN THE NOVEL - PETER CAMENZIND *Mansi Vats*	1-7
2.	EFFECT OF SIX MONTHS SUPERVISED YOGIC PRACTICES ON POSITIVE MENTAL HEALTH OF COLLEGE STUDENTS *Kapil Kumar Sahu & Jai Shankar Yadav*	8-11
3.	THE YOGIC THERAPY OF IYENGAR : A PHILOSOPHICAL STUDY *Priyanka Shukla*	12-20
4.	CORPORATE & ECONOMICAL ASPECTS OF YOGA *Gomati Singh*	21-25
5.	CONSUMER PROTECTION IN POVERTY, FOOD SECURITY AND HEALTH SERVICES WITH RESPECT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT *Anuj Kumar Bhadana & Virendra Singh*	26-29
6.	YOGA IS A PROMISING APPROACH FOR DEALING WITH THE STRESS RESPONSE *Mahesh Singh Dhapola & Debabrata Sarkar*	30-34
7.	CURRENT PERSPECTIVE ON SCIENTIFIC ASPECTS OF YOGA AND MEDITATION *Kiran Thakur & S. S. Thakur*	35-37
8.	YOGA AS AN EFFECTIVE TOOL IN PEACE EDUCATION, ITS RELEVANCE IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM AND APPROACHES OF GOVERNMENT OF INDIA *Avanish Kumar*	38-40
9.	BENEFITS AND TREATMENTS OF YOGA IN DE-ADDICTION *Dinesh Bala*	41-43
10.	"SUDERSHAN KRIYA" ART OF BREATHING AND BOON TO HEALTH *Ramesh Kumar Tamboli*	44-46
11.	योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव *डी.आर. साहू, केवल चक्रधारी एवं डी. के. सिंह*	47-50
12.	भारत में बाल श्रम : सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य *जगतार सिंह*	51-54
13.	अनुसूचित जातियों पर शहरीकरण का प्रभाव तथा सामाजिक परिवर्तन *अंजली देवी*	55-58
14.	भारत में सामाजिक परिवर्तन : पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण *निशा रानी*	59-62
15.	आधुनिक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता : आरक्षण के विशेष सन्दर्भ में *सुमित कुमार*	63-65
16.	आधुनिक सन्दर्भ में स्त्री विमर्श एवं महादेवी *भावना अग्रवाल एवं विमला सिंह*	66-72
17.	योग और संबंधित साहित्य *ए. एल. ध्रुवंशी*	73-77

Contd.... to the nex

(2)

RECENT RESEARCHES in SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

Issue : 1, Vol. :
Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 73 -
ISSN 2348 - 331

योग और संबंधित साहित्य

ए. एल. ध्रुवंशी
सहा. प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान,
गोविंद सारंग शा. विधि महाविद्यालय, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा

Received : 11/03/2020 *1st BPR* : 13/03/2020 *2nd BPR* : 17/03/2020 *Accepted* : 20/03/2020

ABSTRACT

योग, व्यक्ति के निर्माण और उत्थान में ही नहीं बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के चहुमुखी विकास में भी यह उपयोगी सिद्ध हुआ है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के प्रशस्त पथ पर अग्रसर करने की एक अद्भूत विद्या है जिसे करोड़ो वर्ष पूर्व भारत के प्रज्ञावान ऋषि, महर्षियों ने आविष्कृत किया था योग केवल कन्दराओं में जीवन जीने वाले वैरागियों, तपस्वियों एवं योगाभ्यासियों की विद्या नहीं है बल्कि सामान्य गृहस्थी के लिए भी उसकी अतीव आवश्यकता है। लगभग सभी धर्मों ने योग साधना को विशिष्ट समझा उसके अनेकानेक प्रयोग सुझाये। योग–प्राणायाम एक ऐसी जीवन विद्या है जो प्रतिरक्षात्मक उपाय एवं चिकित्सा दोनों है तथा अपनी आध्यात्मिक एवं उच्चतर अर्थो में मन को संयमित करने के लिए साधन के रूप में भी केंद्रीय महत्व रखता है। आधुनिक जीवन शैली को अपनाये हुए मनुष्य के लिए योग साधना एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध हो सकता है, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को सतत् प्रयास व अभ्यास के द्वारा श्वासोच्छवास पर नियंत्रण कर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। स्वामी सत्यानन्द सरस्वती का कथन पूर्ण सत्य है कि "योग अतीत के गर्भ में प्रसुप्त कोई कपोल कथा नहीं है यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है, योग इस युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है।" योग वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित होता आया है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। श्रीमद् भागवत गीता में भी योग को ही आधारभूत माना गया है। सभी भारतीय पौराणिक ग्रंथों में योग सन्निहित है।

धर्म जाति भाषा के झगड़े हमको छू न पायेंगे, ऋषि–महर्षि के योगों को जन जन तक पहुंचायेंगे प्रतिदिवस हम योगा करके रोग रहित बन जायेंगे, योग सुधा का रस पीकर हम जगत गुरू कहलायेंगे।

योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों, तत्व वेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित अनमोल ज्ञान विज्ञान से युक्त एक विशिष्ट पद्धति है योग भारतीय संस्कृति का अहं हिस्सा रहा है हर युग हर काल में स्वस्थ रहने के लिए योग सार्थक रहा है इसमें मनुष्य का समग्र उत्थान, विकास एवं उत्कर्ष के लिए अनेकाविध उपाय–प्रयोग सन्नियोजित है जीवन की प्रमुख प्रसुप्त अविज्ञात व अजागृत शक्तियों का जांगरण कर व्यक्तित्व को परम शिखर तक पहूंचाने की अपूर्व क्षमता योग के विविध साधन–सामग्रियों में विद्यमान है इसीलिए इसे मोक्ष साधन भी कहते हैं वस्तुतः योग एक जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है यह जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है।

तत्वतः योग का अर्थ होता है–मिलन, संयोग, एकाकार, तदाकार, तदरूपता की स्थिति व प्रक्रिया। जबकि व्युत्पति स्वरूप एवं शास्त्रीय अर्थ से योग का तात्पर्य है–आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग शब्द के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाय तो योग 'युज्' धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है मिलन या संयोग। विस्तृत रूप में योग का अर्थ मिलन, संयम और समाधि है संयमन अर्थवाली युज् धातु का संबंध भी वंशीकृतस्य मनसः से है अर्थात मन को वश में करना ही मन का संयमन है। पातंजल योग सूत्र में भी समाधि में संयमन के विशेष संबंध की व्याख्या की गई है त्रयमेकत्र संयमः। समाधि के अन्तरंग प्रत्याहार–धारणा और ध्यान इन तीनों को एक ही साथ संयम नाम दिया गया है।

योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित होता आया है भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है श्रीमद् भागवत गीता में योग को परिभाषित किया गया है।

योगस्य कुरू कर्माणि संग त्यक्खा धनन्जय।
सिद्धसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।

अर्थात हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्ध असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मो को कर क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है इस प्रकार सुख–दुख, मान–अपमान, सिद्धि–असिद्धि आदि विरोधी भावों में समान रहने को ही भगवान ने योग कहा है अतः सुख में न अधिक प्रसन्न होना और दुख में न अधिक दुखी होना ही योग है।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 1, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 73-77 , ISSN 2348-3318

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

योग के ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ महर्षि पतंजलिकृत योग सूत्र के प्रथम अध्याय 'समाधिपाद' में कहा गया है चित की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। योग शब्द का यहां आशय समाधि से है, योग दर्शन में चित्त शब्द मन, बुद्धि, अहंकार तीनों का रूप है। प्राण वायु से नहीं चूकि अनेक जन्मों के संस्कार चित्त में भरे पड़े है इसलिए इसमें वृत्तियां उठती रहती है। चित्त हमेशा चलाय मान रहता है जिस प्रकार जल में हवा। विनाबा भावे के अनुसार "जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। सांस्थ का अर्थ 'सिद्धांत' सिद्धांत का अर्थ है 'शास्त्र' और योग का अर्थ है 'कला'। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरूष का वियोग ही योग है स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के मत में 'योग का तात्पर्य एक भाव का अनुभव अथवा अन्तर्निहित आत्म से तादात्म्य स्थापित करना है, यही एकता वास्तविकता से मन तथा पदार्थ के द्वैवादिता को समाहित करके प्राप्त होती है।

कैवल्य उपनिषद में कहा गया है – श्रद्धाभक्ति ध्यान योगा देवहि।

श्रद्धा, भक्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा का ज्ञान ही योग है।

याज्ञवलक्य ने लिखा है – तधोगेनात्मदर्शनम।

योग के द्वारा ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना बताया है।

श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार 'परमात्मा की शाश्वत और अखण्ड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है।

महर्षि अरविंद के शब्दों में 'जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है वही योग है।'

लिंग पुराण के अनुसार – 'चित की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना या उसका पूर्णतया समाप्त हो जाना ही योग है। उसी से परमगति अर्थात ब्रम्हा की प्राप्ति होती है।

योगवशिष्ठ के शब्दों में ' इस संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है।

स्वामी शिवानन्द सरस्वती के अनुसार योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता की अनुभूति होती है एवं परमात्मा तथा जीवात्मा का ज्ञानपूर्वक संयोग होता है।

महर्षि याज्ञवल्क्य के शब्दों में 'संयोग योग इत्यक्तो जीवात्माः परमात्मनो"

अर्थात 'जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है'

हठयोग प्रदीपिका में योग को समाधि कहा गया है यह समाधि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता से एवं सभी संकल्पों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन से साधक के सभी संकल्प नष्ट हो जाते है और यही अवस्था समाधि या योग की अवस्था है।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के शब्दों में ' चित्त की चेष्टाओं को बर्हिमुखी बनने से रोककर उन्हें अन्तर्मुखी करना तथा आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही वृत्तियों का निरोध होता है और इसी को योग कहते है।

महादेव देसाई के अनुसार 'शरीर मन और आत्मा की समग्र शक्तियों को परमात्मा में संयोजित करना योग है।

सभ्यता की शुरूआत के साथ ही योग का प्रारंभ हुआ भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी माना जाता है आदिकाल से ही योग का प्रतिपादन हुआ है, वेद उपनिषदों में भी योग का उल्लेख है सूर्यदेव और हनुमान जी भी इसके जन्मदाता है आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान योग को सप्तऋषियों को दिया सप्तऋषियों ने युग के इस ताकतवर विज्ञान को विभिन्न भाग तक पहुंचाया, योग का उल्लेख वेद के वृहद आरण्यक में भी है, योग के वर्तमान स्वरूप के बारे मे पहला उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है योग को अन्तर्मन की चेतना विकसित करने की प्रक्रिया कहा जाता है। योग मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रेरणा देता है मानव को मानवता के विकास करने की सीख देता है। मानव को विकसित करने की बात करता है इसलीए योग नियमन करने की बात करता है। नियमन योग से होता है। योग के सूत्रों का वेद मनोरथ है मनुष्य बनो। योग मनुष्य बनने के लिए चित्त वित्तियों का नियमन करता है अगर हमारी चित्त की वृत्तियां संतुलित नहीं है उसके बावजूद भी हम योग कर रहे हैं विभिन्न आसन व प्रणायाम कर रहे हैं तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, ब्राम्हण ग्रंथों में और श्रीमद भागवत गीता में इसका वर्णन है। नारदीय शिक्षा में जैन व बौद्ध ग्रंथों में पाली में प्राकृत व संस्कृत में इसका उल्लेख है महर्षि वाल्मीकि ने युग वशिष्ट नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है महर्षि पातंजलि के ग्रंथों में भी इसका विषद वर्णन है अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच योग पर श्वांस लेने संबंधी व्यायाम शरीर की सफाई के लिए आसन और ध्यान से संबंधित अवधारणाओं की चर्चा की गई है।

प्राचीन काल में मुनी–महात्माओं, साधु व संतों द्वारा कठोर शरीरिक आसन आचरण ध्यान व तपस्या के अभ्यास किया जाता था। योग धीरे–धीरे एक अवधारणा के रूप में उभरा है इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों में योग की व्याख्या अलग–अलग प्रकार से की गई है जबकि सबका मकसद एक है वह है आत्म तत्व की खोज करना, जीवन के सत्य को पहचानना, सकारात्मक चिंतन की ओर अग्रसर करना, आत्म साक्षात्कार एवं आत्म परिश्कार से अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना और केवल परमात्म रस से सच्चिदानन्द में लीन हो जाना है।

डॉ. जीतराम भट्ट ने योग साहित्य में लोक प्रिय पंक्तियां लिखे है –

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANI
Issue : 1, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 73-77 , ISSN 2348
ए. एल. ध्रु
International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

योगेन भवति चित्त्स्य शुद्धि स्वस्थ शरीरे स्वस्थैव बुद्धि
नित्यं करोति योगासनानि, शक्नोति करतुम सह दुष्कराणि
गुरूतेय ध्यानं प्रातस्चं सायं शक्नोति स्मरतुम सहसर्व शास्त्रम
योगं करोति ऋण तेहि सिद्धि, सक्नोति ज्ञातुं
सहहंस वद्धि योगन भवति तितस्य शुद्धि

योग से चित्त की शुद्धि होती है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, अंतःकरण पावन होता है, ध्यान करने से मन का एकाग्रचित होता ध्यान करने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, योग करने से विवेक जाग्रत होता है, योग हंस का विवेक जैसा होता है जो दूध का व पानी का पानी कर देता है।

विष्णु पुराण में लिखा है जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है।

आचार्य हरिभद्र ने कहा है मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग है वहीं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुशल चित्त की एकाग्रता यं है योग की उच्चावस्था समाधि है मोक्ष कैवल्य आदि तक पहुचने के लिए अनेकों साधकों ने जो साधन अपनाएं है उन्हीं साधनों वर्णन योग ग्रंथों में समाहित है योग हमारे शरीर मन भावना और उर्जा के स्तर पर कार्य करता है।

योग के प्रमाणित पुस्तकों में ब्रम्हा संहिता (प्रजापति ब्रम्हजी) पातंजल योग सूत्र (पातंजलि) शिव संहिता (स्वात्मारा गोरक्षशतक (गोरक्षनाथ) घरेण्ड संकिहता (महर्षि घरेण्ड) हठयोग प्रदीपिका (स्वात्माराम) लाइट आन योगा (बेल्लूर कृष्णमचा योगी कथामृत (परमहंस योगानन्द) श्रीमद् भगवत गीता (वेदव्यास) द हार्ट आफ योगा (टी.के.वी.देसिकाचर) सिंथेसीस आफ यो (अरविंद घोष) द सोर्स आफ योगा (जग्गी वासुदेव) शिव स्वरोदय/स्वर योग (सत्यानन्द सरस्वती) सभी के लिए योग (बी.के.ए आयंगर) योग साधना एवं योग प्रदीप (सत्यानन्द सरस्वती) योगवासिष्ठ (वाल्मीकि) गोरक्ष संहिता, गोरक्षपद्धति योग बीज, सि सिद्धांत पद्धति (गोरक्षनाथ) योग चिकित्सा (स्वामी रामदेव) आदि प्रमुख है।

जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म दोनों में ही योग को आधार बनाया गुरू गोरखनाथ ने, गोरक्ष शतक लिखा जो हठयोग पर आधारि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसमें 101 श्लोक है जिसमें आसन, प्रांण संरोध का वर्णन है इसके अलावा योग के कुछ कार्यो जैसे कण्ड नाड़ी चक्र कुण्डलमी आदि का वर्णन है राजा भोज ने भी पतन्जलि योग सूत्रों पर व्याख्या लिखी जो भोजवृत्ति या राजमातण्ड नाम से जाना जाता है यह कृति योग सूत्रों को स्पष्ट करने वाली रचनाओं मे से एक है हठयोग प्रदीपिका भी हठयोग से संबंधि प्रसिद्ध ग्रंथ है हठयोग के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है घिरण्ड संहिता तथा शिव संहिता/ घिरण्ड संहिता हठयोग के तीन प्रमुख ग्रंथों से एक है, इसकी रचना सत्रहंवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी इसमें शप्तांग योग की व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। घेरण्ड संहिता को पहला ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें योग के आसन मुद्रा प्रणायाम नीति–धोति आदि क्रियाओं का विशेष वर्णन है इ ग्रंथ के रचयिता घेरण्ड मुनी है जिन्होंने अपने शिष्य चण्ड कपाली को योग विषयक प्रश्न पूछने पर उपदेश दिया था।

शिव संहिता योग से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है इस ग्रंथ में शिवजी पार्वती को संबोधित करते हुए योग की व्याख्या कर रहे 1700 सौ इस्वी से अब तक की अवधि को आधुनिक काल के रूप में माना जा सकता है इस काल में योगाचार्यो ने देश में ही नहं विदेशों में भी योग को लोकप्रिय बनाया। अनादि काल से योग मनुष्य को रोग से मुक्ति दिलाने में सहायक रहा है स्वामी विवेकानन्द ने 1893 में योग पर शिकागो में विशिष्ट व्याख्यान दिए थे श्री श्री परमानन्द शिवानन्द जी ने योगा को एक फर्म बेस बनाया 1920 लीखे गये योगी कथा मृत फादर आफ योगा माना गया इसे 45 भाषा में लिखा गया है स्टीव जोन्स ने सर्वप्रथम इसे डाउन लोड क रखा था अभी हाल ही में इस्टाग्राम में विराट कोहली ने इसका विमोचन किया और अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए इस किताब को श्रेय दिया।

20 वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में प्राचीन भारतीय योग विधा का स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने मूर्धन्य विद्वान स्वामी शिवानन्द के उपदेश एवं सिद्धांतों के समसामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक रूप देकर सभी जातियों, मतों एवं धर्मों के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया सत्यानन्द जी योग एवं तंत्र के अग्रगण्य प्रतिपादक माने जाते हैं कुवल्यानंद जी ने मानसिक शांति साधना के रूप में न लेते हुए चिकित्सीय क्षेत्र में योग पद्धति को विभिन्न आयाम दिया जिससे शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक आरोग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है।

योग की परम्परा वैदिक काल से भी प्राचीन है क्योंकि वेदों के मंत्रों को मंत्र दृष्टा ऋषि–मुनियों ने योग को ध्यान की उच्च अवस्था में ही देखा था जिस समय जो कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है उस समय के वातावरण से प्रभावित होता है अतः स्पष्ट है कि वेदों से पूर्व ही सृष्टि में योग किसी न किसी रूप में व्याप्त था युग दृष्टा ऋषि महर्षियों ने किसी न किसी रूप में योग का अभ्यास किया करते थे पातंजलि द्वारा कृत पातंजल योग सूत्र को योग के क्षेत्र में प्राचीन और श्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है पतंजलि ने अपने ग्रंथ के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहा है कि अथ योगानुशासनम् अब हम योग का अनुशासनपूर्वक अध्ययन प्रारंभ करते है इससे स्पष्ट होता है कि योग की परंपरा पहले अव्यवस्थित रूप से चली आ रही थी उसे पतंजलि ने एक अनुशासन अर्थात एक व्यवस्थित व क्रमबद्धता प्रदान की। सांख्य शास्त्र के आदि वक्ता परमर्शि कपिलमुनी है और योग शास्त्र का वक्ता आचार्य हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ से प्राचीन अन्य कोई योग के वक्ता नहीं हुए है। हिरण्यगर्भ का शाब्दीक अर्थ स्वर्ण बीज है अर्थात स्वर्णमय आलोक का

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 1, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 73-77 , ISSN 2348-3318
International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal
ए. एल. ध्रुवंशी

स्त्रोत तथा विश्व आत्मा जिससे जगत की समस्त शक्तियों की उत्पत्ति हुई है, बाद में इसका अर्थ ब्रम्हा यानि जगत सृष्टा माना जाने लगा। अतः हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे प्रथम वक्ता माना जाता है। प्रजापति ब्रम्ह (ब्रम्हा) वास्तविक आदिवक्ता हैं और चारों वेदों के ज्ञाता भी। प्रजापिता ब्रम्हा जी ने ही सृष्टि के आदि में सृष्टि निर्माण के लिए सर्वप्रथम तप किया था जिसके फलस्वरूप जीव सृष्टि की रचना की थी। उनके द्वारा किया गया यह तप योग का ही एक रूप था आदि ऋषि ब्रम्हा जी द्वारा रचित एक योग सम्मत ग्रंथ भी उपलब्ध है, जिसका नाम ब्रम्हा संहिता है। उक्त ब्रम्हा संहिता के रचयिता प्रजापति ब्रम्हाजी ही थे। इससे स्पष्ट है कि योग का प्रारंभ हिरण्य गर्भ नामक ब्रम्हा जी से हुआ है।

यदि सिंधु कालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करे तो पता चलता है कि मोहन जोदड़ो में जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक मूर्तियां अवशेष रूप में प्राप्त हुई है, उनमें केवल माँ भगवती की ही नहीं बल्कि एक पुरूष देवता की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जो कि प्राचीनतम शिव का आदि स्वरूप प्रतीत होता है। इस प्रतीक के संबंध में सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहन जोदड़ों एण्ड द इण्ड्स सिविलाईजेशन में स्पष्ट किया है कि मोहन जोदड़ों में उपलब्ध देवता की मूर्ति त्रिमुखी है। वह देवता एक ऊँचे पीठासन पर योग मुद्रा में बैठे हैं। उसके दोनों पैर इस प्रकार मुड़े हुए हैं कि सिद्धासन के समान एड़ी से एड़ी मिल रही है, अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए है और हाथ घूटने के उपर आगे की ओर फैले हुए है। इस प्रकार की आकृति योग में वर्णित ध्यान मुद्रा से मिलती जुलती है इससे स्पष्ट होता है कि उस समय यौगिक मान्यताओं का प्रचलन किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि योग विद्या की परंपरा निश्चित रूप से मध्यकालीन सैन्धव सभ्यता से भी पूर्व प्रचलित थी।

पुराणों के विभिन्न प्रसंगों में एक तथ्य यह भी मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान हिरण्यगर्भ ने सनकादिक एवं विवस्वान को परमात्म साक्षाकार रूप एक ही सनातन योग का उपदेश दिया। अधिकारी भेद के कारण सनातन योग आगे बढ़कर ब्रम्हयोग, राजयोग एवं कर्मयोग इन दो शाखाओं के रूप में प्रचलित हुआ। इसी प्रकार महाभारत के एक प्रकरण में बताया गया है कि पवित्र अंतःकरण वाले सनक, सनातन, सनन्दन सनत कुमार, कपिल आसुरि, पंचशिख, प्रभृति सर्वकर्म सन्यास रूप ब्रम्हयोग अथवा ज्ञानयोग के अनुयायी हुए। यही ब्रम्ह योग कालान्तर में सांख्य योग ज्ञान योग, अभ्यात्म योग आदि नामों से प्रचलित हुआ।

हिरण्यगर्भ द्वारा प्रवर्तित योग की दूसरी शाखा कर्म योग की परम्परा में ऐसे जिज्ञासु अनुयायी थे जो स्वकर्म के साथ–साथ आत्म कल्याण के मुमुक्षु भी थे। इस शाखा का मूल तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्मो को सर्वथा नहीं त्याग सकता वह कर्मो को ईश्वर में अर्पण करते हुए कर्म फलों से निरासक्त होकर समाहित चित्त से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इस परम्परा के परिचायक में छान्दोग्योपनिषद् में उल्लेखित है– तद् एतत् ब्रम्हा प्रजापतये प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः।

इस परमात्मा से विकसित योग विद्या का उल्लेख पुनः श्री कृष्ण के युग में गीता के माध्यम से प्रकाशित होता है जिसमें योगेश्वर भी कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन के संशय को दूर करते हुए समझाते हुए कहते हैं इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान (सूर्य) के प्रति कहा, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र? इक्ष्णाकु से कहा। हे परन्तप अर्जुन इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों द्वारा जाना गया किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तुम मेरा प्रिय भक्त एवं सखा हो इसलिए वही पुरातन योग आज मैने तुझे बताया है क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस गीतोक्त कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि योग का आरंभ सृष्टि के प्रारंभ से ही था जो समय–समय पर लुप्त होने के पश्चात् पुनः अवतार पुरूषों के द्वारा उद्घोषित होता रहा है।

अध्ययन सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्राचीन योग परंपराओं को विद्वानों ने निम्न तीन परंपराओं की धारणा के रूप में प्रस्तुत किया है सृष्टि के आदि काल में तीन शक्तियां मौजूद थी और उनके कार्य सृजन, लालन–पालन और संहार करना बताया जाता है ये तीन शक्तियां है ब्रम्हा, विष्णु और शिव (महेश) भारतीय आर्श वाड.मय के तत्व दर्शियों का मानना है कि इन तीन शक्तियों से अलग–अलग तीन प्रमुख योग परंपराओं का आविर्भाव हुआ जिसका प्रक्रम निम्नानुसार है–

ब्रम्हा (सृश्टिकर्ता)
विष्णु (पालन कर्ता)
शिव (संहार कर्ता)

1. ब्रम्हा (सृष्टि कर्ता)–

ब्रम्हा जी को सृष्टि का आदि पुरूष तथा राजपुरूष माना जाता है, इनसे जो योग उत्पन्न होता है वह है – राजयोग। ब्रम्हा द्वारा उद्भूत राजयोग परम्परा के सुव्यवस्थित रूप देने के लिए ब्रम्हा जी के अवतार के रूप में आने वाले प्रवर्तक हैं –पतंजलि। राजयोग की परम्परा के प्रतिष्ठान तथा उन्नयन के लिए पतंजलि द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है– पातंजलि योग सूत्र।

2. विष्णु (पालनकर्ता) –

विष्णु समग्र वेदों के आदि प्रतीक है। वह वैदिक परम्परा के आदि प्रवर्तक भी है, इनसे जो उत्पन्न होता है वह है – वैदिक योग। विष्णु द्वारा उद्भूत वैदिक योग परम्परा को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए विष्णु अवतार के रूप में आने वाले प्रवर्तक हैं – श्री कृष्ण। वैदिक योग परंपरा प्रतिष्ठापन एवं निरंतरता के लिए श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ है – श्रीमद् भगवद् गीता।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 1, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 73-77 , ISSN 2348-3318
ए. एल. ध्रुवंशी
International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

3. **शिव (संहार कर्ता) –**

संहारकर्ता शिव योग की तृतीय परम्परा के आदि प्रणेता माने जाते है। योग के ग्रंथों में उन्हे आदि नाथ की प्रतिष्ठा दी जाती है उनसे जो योग उत्पन्न होता है वह है हठयोग। शिव द्वारा उदभव योग की परम्परा को समुन्नत रूप देने के लिए शिव के अवतार के रूप में आने वाले प्रवर्तक है गोरक्षनाथ। आदिनाथ शिव द्वारा प्रवर्तित हठ (तन्त्र) योग की परम्परा के प्रतिष्ठापन एवं उन्नयन के लिए गोरक्षनाथ द्वारा विरचित ग्रंथ है–गोरक्ष शतक, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति।

योग की विभिन्न परम्पराओं पर दृष्टिपात करने पर मुख्यतः यही तीन परम्पराएं ही प्रमुख है जो सभी मान्यताओं एवं तर्को के अनुशीलन के बाद योग विद्या के मर्मज्ञों ने इसी परम्परा की मान्यता को अधिक प्रमाणिक माना है।

वर्तमान में प्रसिद्ध हठयोगी हुए स्वामी रामदेव ने योग को जन–जन तक साध्य रूप में पहुंचाने का प्रयास किया उनके अनुसार शरीर के द्वारा मन एवं प्राण को संतुलित एवं नियंत्रित किया जा सकता है।

निष्कर्ष –

योग एक पूर्ण विज्ञान है, एक पूर्ण जीवन शैली है एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एवं एक पूर्ण अध्यात्म विद्या है, योग की लोकप्रियता का रहस्य यह है कि यह लिंग जाति वर्ग सम्प्रदाय क्षेत्र एवं भाषा भेद की संकीर्णता से कभी आबद्ध नहीं रहा। साधक, चिन्तक, वैरागी, अभ्यासी, ब्रम्हचारी, गृहस्थी सभी के लिए योग लाभदायक है। व्यक्ति के निर्माण और उत्थान में ही नहीं बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के चहुमुखी विकास में भी यह उपयोगी सिद्ध हुआ है आधुनिक मानव समाज जिस तनाव, अशांति, आतंकवाद नक्सलवाद, अभाव एवं अज्ञान का शिकार है जिस प्रकार आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति व्यस्त है, त्रस्त है और तनाव ग्रस्त है उसका समाधान केवल योग के पास है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के प्रशस्त पथ पर अग्रसर करने की एक अद्भूत विद्या है जिसे करोड़ो वर्ष पूर्व भारत के प्रज्ञावान ऋषि, महर्षियों ने आविष्कृत किया था योग केवल कन्दराओं में जीवन जीने वाले वैरागियों, तपस्वियों एवं योगाभ्यासियों की विद्या नहीं है बल्कि सामान्य गृहस्थी के लिए भी उसकी अतीव आवश्यकता है।

इसी मूल तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मो ने योग साधना को विशिष्ट समझा उसके अनेकानेक प्रयोग सुझाये आज यदि समग्रता के साथ अनुशीलन तो स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक संस्कृति एवं रहन–सहन के परिपेक्ष्य में दुनिया की प्रत्येक भेषजिक प्रविधि मात्र चिकित्सा है किंतु योग–प्राणायाम एक ऐसी जीवन विद्या है जो प्रतिरक्षात्मक उपाय एवं चिकित्सा दोनों है तथा अपनी आध्यात्मिक एवं उच्चतर अर्थो में मन को संयमित करने के लिए साधन के रूप में भी केंद्रीय महत्व रखता है।

आज का युग अस्वस्थता का युग है प्राचीन काल में मानव प्रकृति से जुड़े होने के कारण स्वस्थता स्वतः प्राप्त थी किंतु आज मनुष्य आरोग्यता प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करने के लिए विवश है इस आधुनिक जीवन शैली को अपनाये हुए मनुष्य के लिए योग साधना एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध हो सकता है, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को सतत् प्रयास व अभ्यास के द्वारा श्वासोच्छवास पर नियंत्रण कर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। स्वामी सत्यानन्द सरस्वती का कथन पूर्ण सत्य है कि "योग अतीत के गर्भ में प्रसुप्त कोई कपोल कथा नहीं है यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है, योग इस युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है।"

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. योग दर्शन – श्रीराम शर्मा आचार्य 2008
2. योग के वैज्ञानिक प्रयोग – डॉ. प्रणव पण्डया 2011
3. योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य – स्वामी रामदेव, पृष्ठ 03
4. पत जल्य योग दर्शन – हरिकृष्णदास गोयन्दका, पृष्ठ 79
5. योग तांत्रिक साधना प्रसंग – अरूण कुमार शर्मा, पृष्ठ 40
6. योग एवं एक गृहस्थ योगी – शिव नारायण लाल
7. विवेकानन्द साहित्य – अद्वैत आश्रम पृष्ठ 160

RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC :41386

ISSN : 0975-3664

शोध - धारा
SHODH-DHARA

(मानविकी एवं समाज विज्ञान पर केंद्रित पीयर रिव्यूड त्रैमासिक शोध–जर्नल 'ए' ग्रेड प्राप्त)
(A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences with 'A' Grade)

Year 2018 JUN Vol. 2

अनुक्रम Contents

शीर्षक	लेखक	पृ०सं०
१. राष्ट्र विकास और सामाजिक चिन्तन	साहनु राम महेन्द्र डॉ० सुधीर सिंह गौर डॉ० बी.पी. देवांगन	1-6
२. राष्ट्र के विकास में धर्म एवं संस्कृति की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) अंजू शुक्ला डॉ० स्वाती शर्मा	7-11
३. राष्ट्र विकास के संदर्भ में वैश्वीकरण	डॉ० श्रीमती नंदिनी तिवारी डॉ० संजय कुमार तिवारी	12-18
४. राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० सुनीता राठौर	19-23
५. राष्ट्र विकास में राष्ट्रवादी विचारधारायें	डॉ० महेश कुमार शुक्ल	24-28
६. सनातन धर्म एवं संस्कृति में प्रतिबिम्बित राष्ट्र–भारत	डॉ० राजीव शर्मा डॉ० अजय कुमार सिंह	29-31
७. राष्ट्र की अवधारणा और भारतीय चिंतन	श्रीमती कांति अंचल	32-34
८. राष्ट्र विकास और भारत में प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन	डॉ० दिनेश कुमार पाण्डेय श्रीमती श्वेता पंड्या	35-40
९. राष्ट्र: चेतना और प्रकृति	डॉ० फुलसो राजेश पटेल	41-43
१०. राष्ट्र के विकास मे धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० रेखा दुबे	44-45
११. व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण पर विवेकानन्द के कालजयी विचार	डॉ० आलोक वर्मा डॉ० मंजू पाण्डेय	46-48
१२. धर्म चिंतन और राष्ट्र विकास	डॉ० तारणीश गौतम	49-53
१३. राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० ए.एल. ध्रुवंशी डॉ० सुरेश मणि त्रिपाठी	54-58
१४. राष्ट्र विकास और गांधी चिंतन	डॉ० एम.पी. रोहणी	59-61
१५. राष्ट्र विकास में औद्योगिकी नीति का योगदान	डॉ० (श्रीमती) संजू पाण्डेय डॉ० प्रवीण कुमार पाण्डेय	62-66
१६. राष्ट्र विकास के आर्थिक आयाम	डॉ० एस.पी. भारद्वाज डॉ० जी.सी. भारद्वाज	67-69
१७. पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास	डॉ० डी.के. सिंह	70-73
१८. सतत् विकास का लक्ष्य और भारत	डॉ० हेमचन्द्र पाण्डेय	74-77

(1)

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 4138
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P. 54-58

राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन

डॉ० ए.एल. ध्रुवंशी

स०प्रा०,राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, **भाटापारा, बलौदा बाजार, छत्तीसग**

डॉ० सुरेश मणि त्रि पाठी

सहायक प्राध्यापक, विधि, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, **भाटापारा, बलौदा बाजार,छत्तीसगढ़**

(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

संस्कृति की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ परिष्कृत होता है। अर्थात् पूर्णत : उद्देश्य को प्राप्त करना। दूसरी व्याख्या के अनुसार संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ शुद्धि की क्रिया से है। शुद्धि का अभिप्राय यहां पवित्रता से न होकर समाजिकता से है। अर्थात् व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने मे जितने भी तत्वों का योगदान है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। मां के उदर से उत्पन्न शिशु एक जैविक प्राणी होता है, यह संस्कृति ही है जो उस जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप मे परिवर्तित करती है संस्कृति का निर्माण संयोग से नहीं होता और न ही एक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास से ही संभव है, यह सामूहिक व बौद्धिक विकास का परिणाम हैं। संस्कृति वास्तव में गुणों का एकत्रीकरण है, जिन्हें मनुष्य गहन अध्ययन, चिंतन, मनन, प्रयत्न एवं श्रम से प्राप्त करता है संस्कृति विवेके बुद्धि द्वारा जीवन को भली प्रकार जान लेने का नाम है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति मानवीय समाज की आदतो व्यवहारों व अनुभवों का संग्रह है। संस्कृति का संबंध समाज से होता है,संस्कृति का संबंध हमारी आत्मा से है। जिस प्रकार शब्द सें अर्थ को अर्थ से शब्द को शरीर से प्राण को और प्राण से शरीर को पृथक नही किया जा सकता उसी प्रकार हम राष्ट्र को धर्म और संस्कृति से पृथक नही कर सकते यदि हमारा धर्म उन्नत है, संस्कृति समृद्धशाली है तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा और यदि धर्म व संस्कृति का अभाव है, तो राष्ट्र का जीवित रहना भी दुलर्भ है, धर्म व संस्कृति के बिना निर्जीव राष्ट्र चिरस्थायी नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय विकास के लिए सभी धर्मावलम्बियों में सहृदयता व समन्वयता की आवश्कता है।

Figure : 00 **References : 07** **Table : 00**

Key Words : राष्ट्र विकास में धार्मिक-चिंतन, राष्ट्र विकास में सांस्कृतिक चिंतन, राष्ट्र और धर्म

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक मूल प्रकृति होती है और भारत की मूल प्रकृति सहिष्णुता प्रधान व समन्वयात्मक है ,इसीलिए इसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी भाव को लेकर भारत में जीवन मूल्यों को विकसित किया गया। विश्व के सभी धर्म भारत मे विद्यमान है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भारत का ही चिंतन है।

मानव के अन्तर्निहित चेतना का स्मरण ही धर्म है और विस्मरण अधर्म। धर्म मानव हृदय की एक उच्च, उदात्त, पुनीत और पवित्र भावना है। धर्म एक विशिष्ट गुण है, एक ऐसी जीवंत गुणवत्ता जिसमें समाहित हो, सत्य के साथ होने की क्षमता, प्रमाणिकता, सहजता, स्वाभाविकता, प्रेम से भरे हृदय की धड़कने और समग्र अस्तित्व के साथ मैत्री पूर्ण लय बद्धता। इसलिए कहते हैं धारयति इति धर्मः जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है और हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। धर्म वह साधना है, जिससे

पशुत्व से मनुष्य तक आत्मा से परमात्मा तक पुरूष से पुरूषोत्तम तक इंसान से भगवान तक की यात्रा साधक सहज ही कर लेता है। धर्म ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है, इससे ही आत्मबोध व आत्म जागरण का ज्ञान होता है। अंतस का भाव ही धर्म का निचोड़ है; यही धर्म की आत्मा है।

महाभारत में यक्ष जब युधिष्ठिर से नकुल को क्यों जीवित कराना चाहते हो पूछते हैं तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं :–

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित :, तस्माद्धर्मे न त्यजामि मा नो धर्मो हतोडवधीत्।।

यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म कर्ता को भी नष्ट कर देता है और अगर उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेत है, इसी से मै धर्म का त्याग नहीं करता कि कही नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पीठ पर जो महाकाव्य स्वर्णाक्षरों में अंकित है वह महाकाव्य हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः यही भारतीय न्याय का उद्घोष है इसी मे छिपा हुआ है भारतीय संस्कृति का समस्त रहस्य अगर व्यक्ति मे मानुष भाव और अनुषंसता का भाव नहो तो ऐसा व्यक्ति समाज पर बोझ बन जाता है उसे समाज का शोषक कहा जा सकता है उसमे आसुरी विचारधाराओं की प्रधानता हो जाती है वह संकीर्णता, स्वार्थ, परता, मोह और आशक्ति से भरा होता है इस वृत्ति को अधर्म का नाम दिया गया है।

संस्कृति की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। जिसका अर्थ परिस्कृत होता है अर्थात् पूर्णत : उददेश्य को प्राप्त करना दूसरी व्याख्या के अनुसार संस्कृति शब्द संस्कार से बना है संस्कार का अर्थ शुद्धि की क्रिया से है। शुद्धि का अभिप्राय यहां पवित्रता से न होकर सामाजिकता से है। अर्थात् व्यक्ति को एक सामाजिक प्रांणी बनाने में जितने भी तत्वों का योगदान है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। मां के उदर से उत्पन्न शिशु एक जैविक प्राणी होता है। यह संस्कृति ही है, जो उस जैविकीय प्रांणी को सामाजिक प्रांणी के रूप में परिवर्तित करती है। संस्कृति का निर्माण संयोग से नहीं होता और न ही एक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास से ही संभव है। यह सामूहिक एवं बौद्धिक विकास का परिणाम है। संस्कृति वास्तव में गुणों का एकत्रीकरण है; जिन्हें मनुष्य गहन अध्ययन, चिंतन, मनन, प्रयत्न व श्रम से प्राप्त करता है। संस्कृति विवेक बुद्धि द्वारा जीवन को भली प्रकार जान लेने का नाम है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति मानवीय समाज की आदतों–व्यवहारों एवं अनुभवों का संग्रह है। संस्कृति का संबंध समाज से होता है। संस्कृति का संबंध हमारी आत्मा से है। जिस प्रकार शब्द से अर्थ को अर्थ से शब्द को शरीर से प्राण को और प्राण से शरीर को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम राष्ट्र को धर्म और संस्कृति से पृथक नहीं कर सकते। यदि हमारा धर्म उन्नत है, संस्कृति समृद्धिशाली है तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा और यदि धर्म व संस्कृति का अभाव है, तो राष्ट्र का जीवित रहना भी दुलर्भ है, धर्म व संस्कृति के बिना निर्जीव राष्ट्र चिरस्थायी नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय विकास के लिए सभी धर्मावलम्बियों में सह्रदयता व समन्वयता की आवश्यकता है।

धर्म एक अमृतमय जीवंत तत्व है, सतत् प्रवाह है, जिसका लक्ष्य है, प्राणी मात्र का कल्याण। धर्म एक गुण है सम्प्रदाय नहीं। पृथ्वी पर ३०० सम्प्रदाय हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाईयों की है। विश्व आबादी में उनकी हिस्सेदारी ३१.५ प्रतिषत और आबादी लगभग २.२ अरब है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्प्रदाय है, जिसे मानने वालों की आबादी १.६ अरब मानी जाती है। विश्व आबादी में

लगभग २२.३२ अरब है। नास्तिक जिन्हें किसी सम्प्रदाय व धर्म में विश्वास नहीं उनकी आबादी १५.३ प्रतिषत है। संख्या के हिसाब से ये आंकड़ा १.१ अरब के लगभग हैं। हिन्दू १ अरब आबादी के साथ दुनिय में तीसरा बड़ा संप्रदाय है, पूरी दुनिया में लगभग १५ प्रतिशत हिन्दू हैं, कुल आबादी विश्व के १.१ प्रतिशत हैं। चीनी पारंपरिक धर्म को मानने वालों की संख्या ३६.४ करोड़ है और दुनिया की आबादी में उनकी हिस्सेदारी ५.५ प्रतिशत है। बौद्ध धर्म को दुनिया में ३७.६ करोड़ लोग मानते हैं। यानी दुनिया में ५.२५ प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग ४२ लाख है और सिक्ख धर्म के मानने वालों की संख्या लगभग ३ करोड़ है।

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। धर्म दो प्रकार का हैं, पहला श्रवण धर्म और दूसरा वैदिक धर्म। मानव जाति के भाग्य निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है, और दे रहे हैं; उन सभी में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं–न–कहीं यही अद्‌भुत शक्ति काम करती रही है। धर्म के दो सिद्धांत पर लोग सहमत हैं। एक धर्म का आत्मामूलक सिद्धांत और दूसरा असीम की धारणा का विकास मूलक सिद्धांत। आत्मामूलक सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ। विकास मूलक के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वैयक्तिक स्वरूप देने से धर्म का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य अपने दिवंगत सम्बंधियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है और सोचता है किं यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखता तथा उनकी पूजा करता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ।

धर्म का वास्तविक अर्थ है: अंतस का रूपांतरण अंतस के कलुष का विनाश। मतभेदों का अंत और समग्रता में जीना तथा समष्टि को पहचानना अगर अंतस का रूपांतरण नहीं हुआ, अंतस नहीं बदला, अंतस में पूर्वाग्रह ज्यों–के–त्यों बने रहे, भेद की सत्ता बनी रही तो बाहर का आचरण केवल पांखंड होगा और धर्म से कुछ भी संबंध नहीं होगा। भारतीय मनीषी बार–बार यह घोषणा करते हैं कि जहाँ भेदभाव है, अहं भाव है, राग और द्वेष है, आसक्ति है, स्वार्थ व मोह है, वहां धर्म के होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सभी संप्रदाय किसी–न–किसी रूप से भेद ही सिखाते हैं, सभी संप्रदाय किसी–न–किसी रूप में मानव समाज को बांटते ही हैं। जब मानव समाज बँटेगा तो फिर घृणा और विद्वेष बढ़ेगा। घृणा व विद्वेष की चेतना अथवा सांप्रदायिक चेतना में रहकर कोई भी व्यक्ति धर्म से धार्मिकता से संपन्न हो ही नहीं सकता। आंशिक धार्मिकता तो पाखण्ड है, उससे अहंकार बढ़ेगा। आज मानव को जिस रूप में धर्म के बारे में बताया जा रहा है उस रूप में धर्म के द्वारा धार्मिकता का निर्माण हो ही नहीं सकता। गुरू के नाम पर आज पाखण्ड पल रहा है, स्वार्थ व अहंकार पोषित हो रहा है। धर्म के ठेकेदार मानवता को लजा रहे हैं, ऐसे में भला धर्म का उद्‌देश्य पूर्ण किससे होगा?

संस्कृति की सरिता सहस्त्र वर्षो से अविरल गति से प्रवाहित होती रही है। समस्त मानवों ने मिलकर इसे आत्मसात् कर और अधिक संपन्न गतिशील और जीवन दायिनी बनाया है। जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, वह एक जंगली जानवर की तरह है, जिसे इस दुनिया में छोड दिया गया है। संमृद्धि की दौड़ में संस्कृति विहीन जीवन संवेदनहीन समाज को जन्म देता है। विकास के अंदर से प्राण एवं

क़र्जा देने वाली जड़ ही गायब है तो भला जड़ हीन विकास की यह चका चौंध कब तक बनी रहेगी? इस विकास में हमारी परंपरा की सोंधी सी महक होनी चाहिए, संस्कृति की दिव्यता होनी चाहिए, मूल्यों की गरिमा होनी चाहिए, तभी शहर एवं गाँव में सामंजस्य बढ़ेगा, राष्ट्र मजबूज और समृद्ध हो सकेगा। हमारा जीवन नीरस नहीं सरस हो, मृत प्राय नहीं जीवंत हो, इसके निवासी खुशहाल एवं संवेदनशील हों। हमारी परंपरा, हमारा आदर्श, हमारी धरोहर संस्कृति ही तो है। संस्कृति सृजनात्मकता की धारा है। सभ्यता, संस्कृति और धर्म जीवन के आधार स्तम्भ हैं। संस्कृति नई सोच, संस्कार, उत्साह, समपर्ण मानव मे राष्ट्र भक्ति की भावना भरता है, लक्ष्मण रेखा खीचता है, और सफलता की राह दिखाता है। संस्कार शिक्षा का प्रमुख आधार हो, तभी संस्कृति का निर्माण होगा। मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं, ईश्वरीय अंश है, अमृत पुत्र है। संगठित होकर ही संस्कृति की रक्षा की जा सकती है, ग्राम, समाज व राष्ट्र को बचाया जा सकता है, भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाई जा सकती है। संस्कृति से ही भारत को पुनः जगत् गुरू के रूप में स्थापित किया जा सकता है। संस्कृति ही राष्ट्र का मार्गदर्शन करती है। प्रगति पथ पर सतत् चलने का नाम ही संस्कृति है। भौतिक के साथ नैतिक समृद्धि भी आवश्यक है, मानव की मानसिक उन्नति उसकी प्रशंसनीय आचरण पद्धति, विद्या से विभूषित तथा सद्गुणों से मण्डित मानव सुसंस्कृत माना जाता है। उच्च कोटि का आदर्श वाद और श्रेष्ठ जीवन पद्धति संस्कृति के द्योतक माने गये हैं।

धर्म सिद्धांत और विश्वास से कहीं अधिक आचरण में बसता है। समाज, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए आपत्ति काल में लड़ना ही धर्म हैं, हमारा समग्र जीवन धर्म है और धर्म को ही जीवन बना लेना चाहिए। आज का मानव धर्म के आधार पर कुछ प्राप्त ही न कर सका। इसीलिए धर्म की आड़ लेकर सारे विश्व में अंध विश्वास और पाखंड बढ़ता जा रहा है, आज संसार में चारों ओर जो कोलाहल और अशांति है, वह वास्तव में मानव के भीतर छाए अंतर्द्वन्द और मलीनता का ही प्रतिबिम्ब है। यह मलीनता कैसे समाप्त हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति वास्तव में सत्य के पथ पर कैसे चले। स्वयं को अज्ञान व तमस से कैसे बाहर करें और प्रकाश को कैसे अंदर करें। समृद्धि, विजय, सृजन, अभ्युदय और निःश्रेयस वहीं है जहाँ धर्म है। हम इस भ्रांत धारणा को पोषित करते हैं कि संन्यास भक्ति और सात्विक भावों के सिवाय और कुछ भी धर्म नहीं है, किन्तु यह संकीर्ण धारणा है, जो सतत् जीवंत है परम तत्व है जो सर्व कल्याणकारी है जिसके पास अभेद दृष्टि है, जो आत्म ज्ञान से सम्पन्न है, वही धर्म है।

अन्तः स्फुरण ही धर्म का एक मात्र स्रोत है। धर्म बोलने के लिए ही नहीं, इसकी चादरें सिर्फ ढ़ने के लिए ही नहीं, अपने आभ्यंतर जगत में उतारने के लिए व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए ही । स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि निःस्वार्थता ही ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। जीव सेवा ही शिव सेवा र ही नारायण है नारी ही नारायणी है; धर्म जीवन जीने की एक श्रेष्ठ शैली है; धर्म को आचरण में रने से सारा संसार एक परिवार बन जाएगा। 'वसुधैव कुटुम्बकम' हमें देवत्व की ओर ले जाता है। े पूर्वज निरक्षर होकर भी शिक्षित और सुसंस्कृत थे, हमें भी शिक्षित होकर भी विदेशियों की आवाज, विजन व रेडियो पर सुन लेते हैं लेकिन पड़ोसी की आवाज नहीं सुनते। धर्म अनुभूति में है मत में । सभी मार्ग एक ही गंतव्य की ओर जाते हैं। धर्म रहस्य के संस्करण में कहा, हे जगत गुरू तपोभूमि

भारत में रहने वाले इंसान, तुम ईश्वर के संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत हो, ऋषि महर्षी, तपस्वी से ओतप्रोत हो, तुम भला पाप कैसे कर सकते हो, तुम पर भला आरोप कैसे ल सकता है। इस मिथ्या भ्रम को झटककर दूर फेंक दो, कि तुम कमजोर हो, भेंड़ हो, ऐ सिंहों उठो! तु नित्यानंद आत्मा हो, तुम अंश भी परमात्मा के हो इसलिए–"उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवरान्निबोधत्।"

धर्म व संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा होती है। इससे ही राष्ट्र की परिकल्पना का जन्म हुआ। दे भक्ति पवित्र सलिला भागीरथी के समान है, जिसमें स्नान करने से तन ही नहीं, बल्कि मनुष्य का मन औ अन्तरात्मा भी पवित्र हो जाती है। भारतीय मनीषियों ने सदैव भेद–भाव भुलाकर राष्ट्र के धार्मिक ए सांस्कृतिक एकत्व की अवधारणा को परिपुष्ट करने पर जोर दिया है। क्योंकि मानव के कर्तव्य व आचरण की पवित्रता पर ही धर्म–संस्कृति एवं राष्ट्र खड़ा है। राष्ट्रीय विकास के लिए सभी धर्मावलम्बियों मे समन्वय की आवश्यकता है। अन्यथा विभिन्न संघर्ष व गतिरोध को जन्म देगा और लोग यह कहते नजर आएंगे कि–

"किससे सीखू मैं रब की बंदगी, सब रब का बंटवारा किए बैठे हैं।
जो लोग कहते हैं रब कण–कण में है, वही मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा लिए बैठे हैं।"

संदर्भ

१ विवेकानन्द, स्वामी; धर्म रहस्य, पृष्ठ १७, ४६
२ प्रार्थना, अहा जिन्दगी, उर्जा पृष्ठ १३६
३ मोहन, नरेन्द्र; भारतीय संस्कृति, पृष्ठ ५, १७, ११३,११६
४ मुंडकोपनिषद् ३ पृष्ठ १–६
५ जैन, विजय कुमार २०१२
६ आचार्य, उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र ६७८–८१
७ राज हंस प्रकाशन मंदिर, मेरठ पृष्ठ १४७

Innovative Research Publications

Women Empowerment

in Contemporary India

Dr. Nidhi Mishra
Dr. Lalita K. Sharma

Women Empowerment in Contemporary India

Editors

Dr. Nidhi Mishra
Assistant Professor, Department of English
Govind Sarang Govt. Law College, Bhatapara, Chhattisgarh

Dr. Lalita K. Sharma
Assistant Professor, Department of Commerce
Guru Nanak Khalsa Girls College, Sang Dhesian, Goraya,
Jalandhar, Punjab

Innovative Research Publications

First Edition February 2022

This book or any part thereof may not be reproduced in any form without the written permissio of the publisher. Publisher's Disclaimer: Due care has been taken while publishing this book, but the Author, Publisher; Printers are not responsible in any manner for any mistake that may have inadvertently crept in.

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system without permission in writing from the publishers.

Any comments or suggestions should be sent to the author and no other place including public domain.

ISBN: 978-93-91708-20-7

Price: Rs. 750/-

Published by:
Innovative Research Publications
G -3 Gulmohar Colony
Bhopal - 462039 (Madhya Pradesh)
Web: http://www.excelpublications.in
Email: info@excelpublications.in
Ph.No. : +91-900-929-1840

CONTENTS

Sr. No. **Chapter Title/Author** **Page No.**

Section One: Violence against Women

Sr. No.	Chapter Title/Author	Page No.
Chapter 1	**Older Women In India: Problems And Health Concerns** *Dr.V.Vidhya & Dr.A.Barwin Vino*	1-13
Chapter 2	**Domestic Violence In India Against Woman With Special Reference To Covid19 Pandemic: A Critical Study** *Ramshankar Varma*	14-23
Chapter 3	**Domestic Violence against Women in India and Its Eradication** *Vinay Prabha Minj*	24-27
Chapter 4	**Gender Violence in Indian Society: A Study** *Dr. Abhilasha Saini*	28-32
Chapter 5	**IPC Crimes against Women in India** *Dr. Bhawani Prasad Yadaw*	33-39
Chapter 6	**Status of Women in India** *Kajal Lulla*	40-42
Chapter 7	**Economic Issues of Women in India** *Anuradha Diwan*	43-47

Section Two: Women Empowerment: A Present Scenario in India

Sr. No.	Chapter Title/Author	Page No.
Chapter 8	**Women Empowerment in India: Problems and Prospects** *Dr. Anshumala Chandangar & Ankit Dhote*	48-52

Chapter 9	**Women Empowerment: Problems in the Way of Women Empowerment in India** *Dhanesh Ram Sinha*	
Chapter 10	**Envisaging Legislative and Legal Measures in National Policy of Women Empowerment** *Usha Yadu*	60-62
Chapter 11	**Women Empowerment in India: A Present Scenario** *Dr. Rita Diwan*	63-67
Chapter 12	**Women Empowerment in India: A Way Forward** *Dr. Anshumala Chandangar & Rahul Taneja*	68-73
Chapter 13	**Women Empowerment in India** *Dr. Budheshwar Prasad Singhraul & Dr. Vanita Kumari Soni*	74-82
Chapter 14	**Women Empowerment in India (Special Reference to Government & Non Government Schemes)** *Dr. B.N. Jaiswal*	83-92

Section Three : Feminism

Chapter 15	**(Re) Location of the Self: A Study of Laxmi Bai Tilak's Sketches from Life** *Dr. Krati Sharma*	93-99
Chapter 16	**Feminism and Women Empowerment** *Hem Kumari Patel*	100-103
Chapter 17	**Rise of Indian Feminism** *Abhijay saini & Aditi Saini*	104-108

Chapter 26 **Women's Role in Environment Conservation in India** 170-174
Dr. Kaushilya Sahu

Chapter 27 **Bridging the Gender Gap in Environment Conservation** 175-178
Dr. Parwati Patel

Chapter 28 **Role of Banking and Women Empowerment** 179-182
Dr. Anamika Tiwari & Gosala Raju

Chapter 29 **12th Five Year Plan and Economic Development of Women: An Overview** 183-187
Dr. Manoj Sharma

Section Six: Women Empowerment : Education & Democracy

Chapter 30 **Education And Gender Inclusion: Understanding Schooling Processes** 188-195
Dr. Nishta Rana

Chapter 31 **Women Empowerment thorough National Education Policy 2020** 196-199
Purnima Kaushik

Chapter 32 **Women Empowerment through Panchayat System: Issues and Challenges** 200-202
Dr. A.L. Dhruwanshi

Chapter 33 ***Representation of Women in Democratic Process*** 203-207
Dr. Madhur Veena Baxla

Chapter 34 **Street Children In India** 208-211
Dr. Rita Diwan

Chapter 35 **National Policy for the Women : An Overview** 212-218
Dr. A. L. Dhruwanshi

CHAPTER 32

WOMEN EMPOWERMENT THROUGH PANCHAYAT SYSTEM: ISSUES AND CHALLENGES

Dr. A.L. Dhruwanshi

Assistant Professor, Department of Political Science

Govind Sarang Govt. Law College, Bhatapara, Chhattisgarh

ABSTRACT

Women constitute half of the population of our country. They are equal to men in numbers but not equal socially or politically. They are often treated as a subordinate sex. The 'girl child' is often treated as a burdened and right the day she is born she is considered as a liability to be disposed off. This scenario has continued in India for many years. But from last few decades, Government understanding the importance of women has started to take initiatives. Just as during the Independence, Gandhiji had vouched for the rights of women, the present government has also given the dictum of "Beti bachao, Beti Padhao." However, there are many issues and challenges in women empowerment.

Keywords: Women Empowerment Panchayat System, Issues and Challenges

1.0 INTRODUCTION

Women constitute half of the population of our country. They are equal to men in numbers but not equal socially or politically. They are often treated as a subordinate sex. The 'girl child' is often treated as a burdened and right the day she is born she is considered as a liability to be disposed off. This scenario has continued in India for many years. But from last few decades, Government understanding the importance of women has started to take initiatives. Just as during the Independence, Gandhiji had vouched for the rights of women, the present government has also given the dictum of "Beti bachao, Beti Padhao."

In concurrence to these policies, Government envisaged Panchayat Raj in India to empower women in India. In 1993, Indian Government brought foryh 73 and 74 Constitutional Amendment to initiate Panchayati Raj in the country. One of the chief aims was to decentralize

the power structure and empower women. Thus, women were given 33% reservations in the system. The reservations ensured women participation in :-

i Members of the Office

ii Chairman of the Office

Thus, today Women considerable represent themselves in Panchayat System. "With the advent of this Act, India today has more than 500 district panchayats, around 5,100 block panchayats and more than 2,25,000 village panchayats, approximately 90 municipal corporations,1,500 municipal councils, and 1,800 Nagar panchayats. And there are also 6, 81, 258 women elected to Gram Panchayats:37, 109 women to Panchayat at the intermediate level and 3153 women Panchayat at the district level" (Jophi, 2018).

How ever, everything does not seem fine. There are still issues which are plaguing women. Some of these are:-

i Illiteracy

Women adorning panchayats are marred with illiteracy so they are not able to take decisions correctly. They can't go through papers, documents or interact with the Officials.

ii Gender Discrimination

Women are still facing gender discrimination by men. There are some instances where men do not attend office or take oath if women are sarpanch. Women Sarpanch are not called into the meetings and often insulted.

iii Apathy by the Government

Though Government has created posts for women in Panchayat System and even given reservations, but they have not build the infrastructure so as how village women will be benefitting from them. That's why still women lag behind.

iv Patriarchal Mindset

Women face patriarchal mindset that they should remain in the house. They should not come out in front of other men. They should not take decisions on their own. Due to these patriarchy mindset, women sometimes have to revolt or sometimes have to succumb to the pressures.

v Apathy by Officials

Officials working in Panchayat department too, are apathetic towards the plight of the women. They don't help these women Sarpanchs.

vi Lack of Confidence

Due to illiteracy and years of oppression, women lack self confidence. They cannot take part in decision making. This, once again give excuse to the men for oppressing them.

vii Lack of Awareness

This is yet another persistent problem. Women are often unaware of their rights and privileges. Thus, they are themselves not benefitted by the government measures.

2.0 MEASURES TO ENSURE WOMEN EMPOWERMENT

- **i** Breaking the sex stereotyping.
- **ii** Eradication of Gender discrimination.
- **iii** Improving physical health of women.
- **iv** Improving mental health of women.
- **v** Making women aware of their rights and privileges.
- **vi** Building of panchayat infrastructure
- **vii** Creating women friendly panchayat system
- **viii** Creation of strict laws against violence towards women.
- **ix** Educating women.
- **x** Changing the societal structure and breaking patriarchal mindset.

3.0 CONCLUSION

Government should understand that creation of reservation and laws alone is not enough. Govt should also ensure that patriarchal mindset should be shattered. Men should understand that women are equal participants and not their subordinates. Active participation of women in panchayat system can lead to progress of the country by leaps and bounds.

REFERENCE

https://lawtimesjournal.in/women-empowerment-through-panchayat-raj-system/

About the author

Dr. Nidhi Mishra is currently working as an Assistant Professor of English in Govind Sarang Govt Law College, Bhatapara, Chhattisgarh. She has teaching experience of more than ten years. She is NAAC, Student Welfare, RUSA and UGC Convenor of the College. Dr. Mishra is also Head of Anti Ragging Committee, Women Empowerment and SPARSH Cell in the College. Dr. Mishra has also worked in National Institute of Technology for a short period of time before joining State Civil Services. She is a life member of OUIP, ELTAI and CETA. Dr. Nidhi Mishra has done her Ph.D from Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur and published many research works in the journals of National and International repute. She specializes in African American literature and has special interest in ELT.

Dr. Lalita K. Sharma has done her Bachelors & Masters in Commerce from GHGKC, Ludhiana, Punjab. She is a Ph.D from Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab. She is presently working as an Assistant Professor in Department of Commerce, GNKG College, Goraya, Jalandhar, Punjab. She has also been involved in teaching and research and has developed one scale on working life of taxi drivers. She is the life member of Indian Political Economy Association. She has attended 110 national and international conferences and participated in 113 workshops. She has 27 published research papers in many leading national and international journals, and has also published 16 papers in conference proceedings. She has authored a book on QWL, 25 chapters in edited books and has also edited 25 books. Her area of Research is Education, Women Empowerment, Human Resource Management, Marketing Management and Unorganized Sector.

Published & Printed By :

Innovative Research Publications

Innovative Research Publications
Bhopal MP India
www.irpublications.org

Copy Right @ Dr. Nidhi Mishra,

MRP Rs.750.00

ISBN 978-93-91708-20-7

9 789391 708207

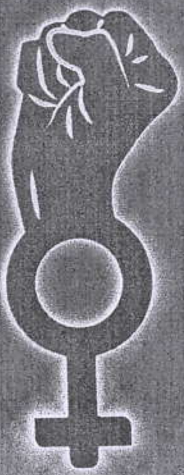

Innovative Research Publications

Women Empowerment

in Contemporary India

Dr. Nidhi Mishra
Dr. Lalita K. Sharma

CHAPTER 35

NATIONAL POLICY FOR THE WOMEN: AN OVERVIEW

Dr. A. L. Dhruwanshi

Assistant Professor, Department of Political Science

Govind Sarang Govt. Law College, Bhatapara, Chhattisgarh

1.0 INTRODUCTION

The Constitution of India conveys a powerful mandate for equality and rights of women in its Preamble, Fundamental Rights, and Duties and also provides for specific provisions for affirmative actions. India is also a signatory to a number of UN Conventions, primarily Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Beijing Platform for Action and Convention on Rights of the Child where the commitment of the nation to protect and empower its women and girls is quite pronounced. The recent endorsement by India, of the ambitious 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) will further change the course of development by addressing the key challenges such as poverty, inequality, and violence against women, which is critical for the global success of the goals as well.

2.0 THE PRESENT SITUATION IN THE COUNTRY

Notwithstanding the Constitutional mandate, the discourse on women's empowerment has been gradually evolving over the last few decades, wherein paradigm shifts have occurred – from seeing women as mere recipients of welfare benefits to mainstreaming gender concerns and engaging them in the development process of the country. Nearly a decade and half has passed since the National Policy for the Empowerment of Women (NPEW), 2001 was formulated, which laid down a comprehensive progressive policy for the advancement, development and empowerment of women with appropriate policy prescriptions and strategies. Since then, significant strides in global technology and information systems have placed the Indian economy on a trajectory of higher growth, impacting the general populace and women in particular, in unique and different ways.

These changes have brought forth fresh opportunities and possibilities for women's empowerment while at the same time presenting new and emerging challenges which along with persisting socio-economic problems continue to hinder gender equality and holistic empowerment of women. Further, the deep-rooted patriarchal social constructs position women in disempowered social and economic hierarchies that impede in realization of their rights. Several paradoxical trends have been observed in the past few years. The growing acknowledgement of gender rights and equality is juxtaposed against increase in reporting of various forms of violence against women such as rape, trafficking, dowry etc.; expansion of new work opportunities for women alongside continued weak bargaining power in the labour market; increasing number of educated, aspiring career women entering the work place, while large sections of women are still in the low paid informal sector. Similarly, feminisation of agriculture and growing number of women farmers raises the larger issue of gender entitlements to land and assets ownership; growing state of art medical facilities has to be analysed against high Maternal Mortality Ratio (MMR), Infant Mortality Rate (IMR), malnutrition and anaemia and lack of geriatric care and support; growing urbanisation and resultant migration of women in relation to the availability of safe spaces and social security net for vulnerable women. Though climate change has significant gendered impact, women have been sidelined in debates about managing climate change and environmental resources. The misuse of rapid advances in Information Technology (IT) and telephony has resulted in new and varied forms of sexual abuse such as cyber crimes and harassment of women through mobiles and internet. The regulatory frameworks are not in pace with the growth in technology as yet.

3.0 NEED FOR CHANGE

Investment in basic social infrastructure and services such as education, health, food security and nutrition, social protection, legal empowerment and poverty alleviation programs, will continue to be of paramount importance. However, the new millennium and the dynamics of a rapidly changing global and national scenario have ushered in new facets of development and growth giving rise to complex socio-economic and cultural challenges for women in a society with deep rooted cultural and social beliefs about gender roles. The current status of women with respect to human development

parameters, legal rights for women to life and freedom from violence, economic and social discrimination and their rights to equality and equity shows that a lot still remains to be done. It is necessary therefore, to reinforce the rights-based approach for creating an enabling environment in which women can enjoy their rights. In the coming years, India is expected to gain significantly from it's 'demographic dividend' as the share of it's potential productive workforce will increase in numbers as compared to the aging population of other countries. To what extent the country can seize this dividend and benefit from it will largely depend on how women exercise their rights and entitlements and contribute to the development process.

i There is need therefore to formulate a new policy that can guide the transformative shift required for making gender rights a reality, addressing women's issues in all its facets, capturing emerging challenges and ultimately positioning women as equal partners of sustained development progress that the country is experiencing presently.

ii The re-scripting of women's empowerment has been envisaged as a socially inclusive right based approach while reinforcing the rights and entitlements provided under the Constitution of India. The policy will enable sustainable socio economic, political empowerment of women to claim their rights and entitlements, control over resources and formulation of strategic choices in realisation of the principles of gender equality and justice.

iii As a generic policy framework, the National Policy for Women, 2016, guides various sectors to issue more detailed policy documents that are sector specific. Sectors will be able to integrate the principles contained in this Policy Framework into their prevailing policy, strategy and program documents.

4.0 VISION AND MISSION OF THE POLICY

A society in which, women attain their full potential and are able to participate as equal partners in all spheres of life and influence the process of social change. To create an effective framework to enable the process of developing policies, programmes and practices which will ensure equal rights and opportunities for women in the family, community, workplace and in governance.

5.0 OBJECTIVES OF THE POLICY

i Creating a conducive socio-cultural, economic and political environment to enable women enjoy de jure and de facto fundamental rights and realize their full potential.

ii Mainstreaming gender in all-round development processes/programmes/projects/ actions.

iii A holistic and life-cycle approach to women's health for appropriate, affordable and quality health care.

iv Improving and incentivizing access of women/ girls to universal and quality education.

v Increasing and incentivising work force participation of women in the economy. vi) Equal participation in the social, political and economic spheres including the institutions of governance and decision making.

vi Transforming discriminatory societal attitudes, mindsets with community involvement and engagement of men and boys.

vii Developing a gender sensitive legal-judicial system. ix) Elimination of all forms of violence against women through strengthening of policies, legislations, programmes, institutions and community engagement.

viii Development and empowerment of women belonging to the vulnerable and marginalized groups.

ix Building and strengthening stakeholder participation and partnerships for women empowerment.

x Strengthen monitoring, evaluation, audit and data systems to bridge gender gaps.

6.0 TARGET AND PRIORITY AREAS OF THE POLICY

i Health including food security and nutrition Maternal and peri-natal mortality will remain a priority to bring down the high rates of MMR and IMR. The outreach and capacity of the frontline workers like ASHAs, ANMs, Anganwadi workers and the number of trained skilled home birth professionals with supportive supervision will be increased in remote and backward areas.

ii A coordinated Referral Transport System (RTS) for safe deliveries as well as emergency obstetric care will be made available in all areas especially in difficult, remote and isolated areas and during the time of natural/environmental calamities.

iii Focus on Pregnant and Lactating (P&L) women will be continued by organizing special health camps for the prevention and treatment of diseases affecting P & L women such as Anaemia, low BMI, under nutrition etc., and launch special drives to impart health and nutrition education.

iv A gender transformative health strategy which recognises women's reproductive rights with shifts such as family planning focus from female sterilisation to male sterilisation will be developed and implemented. v) Apart from maternal health, the focus of other health problems of women including communicable and non-communicable diseases like cancer, cardio vascular disease, HIV/AIDS will be given prioritised attention with appropriate strategies and interventions. vi) Taking into account the vulnerable status of elderly women above 60 years of age who constitute 8.4% of the population, geriatric health care will require special attention in conformity with the National Policy on Senior Citizens 2011. Geriatric services including preventive, curative, and rehabilitative healthcare will be strengthened with appropriate government and public-private sector participation.

v Health interventions will aim at both physical and psychological well-being of women. viii) The National Mental Health Policy (2014) recognises that women have a greater risk of mental disorders due to various reasons primarily due to discrimination, violence and abuse. A systematic approach to provide requisite screening, care and treatment especially at primary level will be made.

vi Special emphasis will be given to the health care challenges of adolescents and investments in their health care. Adolescent sexual and reproductive health needs will get a focus of attention as a health issue in all health centres and hospitals.

vii There is a dearth of health care for women in their menopausal age. Though, the phase is generally dismissed as a natural occurrence, women are increasingly facing physical and emotional health problems like osteoporosis, cardiovascular diseases, depression etc. Suitable interventions will be initiated in this regard. xi)

Traditional knowledge of women including healing practices will be promoted for indigenous treatment systems in remote areas.

viii xii) Special attention will be given to the expansion of health insurance schemes such as RSBY and the same linked to programmes like ICDS, JSY, NRLM, NREGS, NULM benefitting women particularly the vulnerable and marginalised.

ix To improve the health services, complete, accurate, and timely gender based data as well as organizational data is urgently required. Investments in data infrastructure for linking gender based data collected by public and private organizations and individual researchers will be made to address the health reforms in other diseases apart from maternal health and to monitor the impact of e-initiatives.

x As assisted reproduction pregnancies are more risky due to the high rate of multiple births and the risk of infection, healthcare coverage will be provided to the surrogate during the pregnancy, during post-pregnancy checkups and treatments that follow.

xi Nutrition will be accorded utmost priority as women are at high risk for nutritional deficiencies in all the stages of their life cycle. To tackle the problem of malnutrition, focussed attention will be paid at every stage right from Ante-Natal Care (ANC) and Post Natal Care (PNC) for healthy foetal development to the needs of adolescent girls to the stage of elderly women. Interventions and services for addressing the intergenerational cycle of under-nutrition, with focus on nutritional care for the first 1000 days of the child after birth will be strengthened.

xii Improving the nutrition and health status of adolescent girls will be accorded special focus. Suitable strategies to end intra-household discrimination in nutritional matters with regard to girls and women will also be devised. Regular data on prevalence of nutritional deficiency in Children sex-wise (district wise data) and data on weight at birth (by sex) will be ensured. xvii) Effectiveness of ICDS in preventing and reducing under-nutrition and promoting young child survival and development roles of ICDS & Health functionaries - ANMs, AWWs, ASHAs, AWHs and their team work with greater community involvement, especially at critical contact points will be reviewed and strengthened.

xiii Nutritious and safe food through Public Distribution System (PDS) for households especially the unreached women and children with high nutritional vulnerabilities as envisaged in National Food Security Act, 2013 will be made available. Management of institutions of food/grain banks by women Groups (SHGs) could be considered to enable uninterrupted supply of food grains even in times of natural/man-made calamities or disasters such as flood, drought etc.

REFERENCE

National Policy for the Women Empowerment 2001. A Press Release.

https://wcd.nic.in/womendevelopment/national-policy-women-empowerment

National Policy for Women 2016. A Press Release.

About the author

Dr. Nidhi Mishra is currently working as an Assistant Professor of English in Govind Sarang Govt Law College, Bhatapara, Chhattisgarh. She has teaching experience of more than ten years. She is NAAC, Student Welfare, RUSA and UGC Convenor of the College. Dr. Mishra is also Head of Anti Ragging Committee, Women Empowerment and SPARSH Cell in the College. Dr. Mishra has also worked in National Institute of Technology for a short period of time before joining State Civil Services. She is a life member of OUIP, ELTAI and CETA. Dr. Nidhi Mishra has done her Ph.D from Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur and published many research works in the journals of National and International repute. She specializes in African American literature and has special interest in ELT.

Dr. Lalita K. Sharma has done her Bachelors & Masters in Commerce from GHGKC, Ludhiana, Punjab. She is a Ph.D from Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab. She is presently working as an Assistant Professor in Department of Commerce, GNKG College, Goraya, Jalandhar, Punjab. She has also been involved in teaching and research and has developed one scale on working life of taxi drivers. She is the life member of Indian Political Economy Association. She has attended 110 national and international conferences and participated in 113 workshops. She has 27 published research papers in many leading national and international journals, and has also published 16 papers in conference proceedings. She has authored a book on QWL, 25 chapters in edited books and has also edited 25 books. Her area of Research is Education, Women Empowerment, Human Resource Management, Marketing Management and Unorganized Sector.

Published & Printed By :

Innovative Research Publications

Innovative Research Publications
Bhopal MP India
www.irpublications.org

Copy Right @ Dr. Nidhi Mishra,

MRP Rs.750.00
ISBN 978-93-91708-20-7
9 789391 708207

International Indexed, Refereed, Interdisciplinary, Multilingual, Monthly Research Journa

SSN 0974-2832

Issue-60, Vol-V, January-2014

Impact Factor-1.0060 UIF

SHODH SAMIKSHA AUR ULYANKAN

शोध समीक्षा और मूल्यांकन

Management, Commerce, Life Sciences, Home Science Economics, Political Science, Public Administration, Education, Music, Law, Human Science, History, Computer, Psycho

AN INTERNATIONAL REFERRED RESEARCH JOURNAL

S.S.M.

WAY TO SUCCESS...

R.A.E.

JAIPER INDIA

Editor

Dr. KRISHAN BIR SINGH

www.ssmrae.com

Contents

Commerce

Increasing Vogue of commerce Stream
*** Pathak Abhay Kumar** 6-7

Green Marketing, Challenges Ahead
*** Ms. Deepika** 24-25

A Study On International Financial
*** Dr. Aslam Sayeed ** Vandana Singh** 28-29

कोरबा जिले के वैद्यों की आर्थिक स्थिति
*** मुकेश कुमार** 73-74

पश्चिम विदर्भातील कर्मचारी भविष्य निधी
*** डॉ. आर. डी. सिकची** 97-98

Commerce & Management

A Brief Study of National Tourism Policy
*** Kavita Ratnaparkhi ** Namrata Ganguly** 20-21

Cost & Work Accounting

Significance of Commerce Education
*** Dr. K.R. Udmale** 42-43

Accountancy

Performance Evaluation of The Selected
*** Dr. Janardan Sidram Hotkar** 1-3

Management

Sourcing: A Key Retail Supply Chain
*** Amit Sindhu** 36-39

Sociology

अन्तर्जातीय विवाह एवं पारिवारिक सामंजस्य
*** श्रीमती नीना वखारिया** 50-51

मीडिया द्वारा स्त्री का प्रस्तुतिकरण
*** ज्योति गुप्ता** 67-69

महिला सशक्तिकरण की राजनीति
*** ज्योति गुप्ता** 91-94

Political Science

जनमानस के आइने में न्यायपालिका
*** डॉ. ए. एल. घुवंशी** 62-64

भारत में मनरेगा– उपलब्धियां और प्रमुख प्रवृत्तियां
*** अनिल बुन्देला ** डॉ. हेमलता आकोडिया** 86-87

Public Administration

राजस्थान पर्यटन विभाग : विश्लेषणात्मक अध्ययन
*** डॉ. नम्रता शर्मा** 57-58

Economics

भारत के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
*** प्रा. डॉ. जोशी रमेश प्रभाकर** 59-61

History

Role of Gadar Movement
*** Dr. Rakesh Kumar** 16-17

छत्तीसगढ़ में अठारह सौ सत्तावन का स्वतंत्रता
*** डॉ. श्रीमती फुलसो राजेश पटेल** 52-54

प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था
*** डॉ. रविन्द्र सिंह ** प्रो. मान सिंह अजनार** 88-90

Geography

The Relationship Between Attitude
*** Ms. Sangeeta Gupta** 11-13

International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832, (Print) E-ISSN-2320-5474, January, 2014, VOL-V *ISSUE-
शोध पत्र — राजनीति विज्ञान
January, 2014

जनमानस के आइने में न्यायपालिका

* डॉ. ए. एल. धुवंशी
* स. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग) शास. एल. एल. शुक्ल महाविद्यालय, सीपत

"न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज विधान मण्डल के बिना रह सकता है यह बात समझ में आ सकती है, किन्तु ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नही की जा सकती जिसमें न्यायपालिका अथवा न्यायाधिकरण की कोई व्यवस्था न हो।"

.. डॉ0 गार्नर

न्याय का वास्तविक अर्थ अन्याय की भावना के दुरूपयोग को रोकने या प्रतिकार करने की सक्रिय प्रक्रिया के रूप में लगाया जा सकता है एतदर्थ कहा जा सकता है कि अन्याय को समाप्त करने की मानव की मूल प्रवृत्ति ही एक जूट होकर अन्याय का विरोध करने और इन कार्यो तथा भावनाओं को न्याय के नाम पर उचित ठहराने के लिए हतोत्साहित करती है। समाज व राष्ट्र में अन्याय के प्रति जागरूकता मानवीय संबंधों की तत्कालीन व्यवस्था के संदर्भ में उत्पन्न होती है इस तरह न्याय एक सामाजिक अवधारणा ही है जिसकी जड़ें मनुष्य के जीवन में तथा समाज के गहराइयों में निहित होती है।

तभी तो कहा जाता है कि इन्साफ एक अमूर्त तथा गतिहीन अवधारणा नहीं है बल्कि एक मूर्त एवं गतिशील अवधारणा है जिसे मानव के परिवर्तनशील सामाजिक संबंधों के रूप में समझा जा सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का सार यह है कि न्यायपालिका शासन का वह महत्वपूर्ण अंग है, जो विधियों की व्याख्या करता है तथा इनके उल्लंघन करने वाले को उचित दण्ड देता है। विधियों के गुण और दोष परखना इसका कार्य नहीं है इसका कार्य विधियों का उचित पालन करवाना है, विधि निर्माणकर्ता विधि निर्माण के समय उससे उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों से परिचित नहीं होते ऐसी स्थितियों में विधि की व्याख्या करना न्यायपालिका का ही कार्य होता है। न्यायपालिका का अस्तित्व वर्तमान समय के सभ्य राज्य की प्रथम आवश्यकता समझा जाता है और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की तो एक प्रमुख विशेषता संघीय न्यायपालिका है भारतीय संघीय न्यायालयों की गठन ही इस प्रकार की गई है कि न केवल वह पूर्णतः सशक्त व स्वतंत्र है न केवल वह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के पालन का ही आश्वासन देती है बल्कि राज्यों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भी रक्षक है।

किसी भी देश में वास्तविक स्वतंत्रता का सबसे सशक्त प्रहरी एक निष्पक्ष और सशक्त न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आधुनिक संविधानों का एक प्रमुख गुण है न्यायाधीशों में निष्पक्षता सत्य से निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का सारा संरचना ही खोखला प्रतीत होगा और उस उंचे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का सबसे पहला उद्देश्य न्याय प्रदान करना है यह घोषणा की गई है कि भारतीय गणराज्य सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करेगा यह न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा नागरिकों को न्याय प्रदान करने की दिशा में सबसे पहला महत्वपूर्ण पग है एक स्वतंत्रत और सशक्त न्यायपालिका की व्यवस्था। भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता की एक सशक्त प्रहरी पवित्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इस देश को दी है जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है।

यह गर्व का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय एक पवित्र और श्रेष्ठ संस्था की गरिमा के अनुरूप कार्य कर रहा है, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के परिणाम स्वरुप शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है इस संबंध में समीक्षकों की यह अवधारणा है कि किसी देश की राजनैतिक व्यवस्था तथा उस देश के प्रजातांत्रिक राजनैतिक ढांचे का इस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि उस देश की राजनैतिक संरचना में न्यायपालिका का क्या स्थान है तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करने में उसकी क्या भूमिका है आज विश्व के विकसीत, विकासशील या अविकसित देशों में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां न्यायपालिका न हो संवैधानिक व्यवस्था ने न्यायपालिका को जो गरिमा, प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त है इसका वास्तविक कारण कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के क्रियाकलाप है जो आज प्रजातांत्रिक युग में भी सामान्य जनता की पहुंच तथा समझ से बाहर है तथा भारत जैसे देश में तो "कोई नृप होई, हमें का हानि" पर सामान्य जनता का विश्वास है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका की गहमा–गहमी निर्धारित अवधि पर एक आंधी के झोंके के समान आती है और किसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर जन सम्प्रभुता को एक निश्चित अवधि के लिए राजनैतिक दांव पेचों में व्यवसायिक खिलाड़ियों की झोली में डाल देती है जबकि न्यायपालिका की स्थिति इसके ठीक विपरीत जन–जन से संबंधित है।

इसका संबंध जितना शासकों से है उतना शासितों से भी है। धनी, निर्धन, कुलीन, पिछड़े वर्ग सामाजिक, असामाजिक तत्व सभी का किसी न किसी रूप में न्यायपालिका से संबंध

यही कारण है कि मांटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के बाद भी आम जन के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्व सरकार के प्रमुख अंगों में न्यायपालिका का ही रहा है।

यदि राजनैतिक चिन्तन की पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो न्यायपालिका का महत्व न केवल आधुनिक युग में बल्कि प्राचीन समय में भी उतना ही रहा है जितना वर्तमान में है राजनैतिक मनीषी प्लेटो ने अपनी राजनैतिक चिन्तन में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका की अपेक्षा "न्याय" पर सर्वाधिक जोर दिया भले ही युनानी काल का न्याय व्यक्ति के जीवन का एक पक्ष न होकर सर्वांगीण रहा है। भारतीय राजनीति चिंतन में कौटिल्य तथा मनु ने भी राजा तथा प्रजा के बीच संबंधों के लिए न्याय को अनिवार्य बतलाया इसी प्रकार मध्यकाल में आधुनिक राजनैतिक चिंतन में मैकियावेली ने भी नैतिकता तथा धर्म के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त कर न्याय की पुष्टि की।

उपर्युक्त विवेचन से इस धारणा की पुष्टि हो जाती है कि सभ्यता के प्रारम्भिक विकास से लेकर आज तक न्यायपालिका का महत्व रहा है तथा आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आधुनिक संविधानों का एक प्रमुख गुण है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करती है उसमें हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करती है यह हस्तक्षेप एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति अथवा शासन का व्यक्तियों के प्रति भी हो सकता है यदि किसी राज्य में उचित और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो अधिकारों की सुरक्षा खतरे में रहती है। रॉले ने न्यायपालिका के महत्व को बताते हुए कहा है–"अधिकारों का निश्चय और उन पर निर्णय देने के लिए न्याय विभाग नितांत आवश्यक है।" न्यायपालिका की दृष्टि में सब समान होते हैं छोटा, बड़ा, अमीर और गरीब, काले और गोरे सबके लिए न्याय एक होता है और अपने अपराध के अनुरूप ही दण्ड पाता है। यदि राष्ट्र में न्यायपालिका की व्यवस्था न हो तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लोकतंत्र में न्यायपालिका को सरकार के अंगों में निम्नलिखित कारणों से प्रथम माना जाता है :–

1. प्रजातंत्र की रक्षा के लिए :–

लोकतंत्र की रक्षा में स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है शासन को मर्यादा में रखने का कार्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्रीय शासन के प्रतीक होते हैं इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका को "प्रजातंत्र का प्राण" कहा जाता है।

2. निष्पक्ष न्याय के लिए :–

न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान करना है और यह कार्य न्यायपालिका तभी भली–भांति कर सकती है जब वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण तथा प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो।

3. संविधान की रक्षा के लिए :–

न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य दो प्रकार से करती है, प्रथम संविधान की धाराओं की स्पष्ट व्याख्या करके और द्वितीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित उन कानूनों को जो संविधान के विरुद्ध है को अवैध घोषित करके न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है।

4. सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण के लिए :–

सरकार के अन्य अंगों व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता पर केवल न्यायपालिका ही प्रभावशाली नियंत्रण रख सकती है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध (शून्य) घोषित कर कार्यपालिका के स्वेच्छाचारिता जैसे कार्यों पर अंकुश लगाकर दोनों अंगों की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती है।

5. नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए :–

व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों ही अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकती है या उस पर अनुचित नियंत्रण लगा सकती है, ऐसी दशा में एक मात्र न्यायपालिका ही व्यवस्थापिका से अनुचित कानूनों को तथा कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है शासन के कोई भी अंग या अन्य सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रता में किसी प्रकार हस्तक्षेप करती है तो न्यायपालिका बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी आवश्यकता हो वैसा आदेश जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

6. संघात्मक व्यवस्था के लिए :–

संविधान के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत संविधान द्वारा ही संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है न्यायपालिका इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई भी कार्य करने से रोक सकता है तथा संघीय या राज्य सरकारों के बीच परस्पर विवाद उत्पन्न होने पर इसका निपटारा भी न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है।

7. न्याय प्राप्त करने के लिए :–

न्याय की व्यवस्था तथा उसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, उसके उल्लघन होने पर कार्यपालिका लोगों पर अभियोग लगाती है तथा न्यायपालिका उन पर निर्णय देती है। यदि अभियोग पर निर्णय देने वाली न्यायपालिका स्वतंत्र न होकर अभियोग लगाने वाली कार्यपालिका के प्रभाव व नियंत्रण में होगी तो न्याय के औचित्य पर सदा संदेह ही बना रहेगा।

8. संविधान की सर्वोच्चता के लिए :–

यद्यपि संविधान निर्माताओं ने संविधान को सर्वोच्च बनाया है लेकिन यदि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संसद द्वारा बनाये गये ऐसे कानूनों को अवैध (शून्य) घोषित न करता जो संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो तो निश्चित ही संविधान की सर्वोच्चता स्थापित नहीं रह सकती। न्यायपालिका ने उन सभी कानूनों व आदेशों को असंवैधानिक कहकर अवैध घोषित कर दिया जो संविधान के प्रतिकूल थे इससे

संविधान की रक्षा ही नहीं हुई बल्कि संविधान की सर्वोच्च विधि के रूप में आज भी मौजूद है ।

9. शक्ति के पृथक्करण को स्थापित करने के लिए :–

न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उसने शक्ति पृथक्करण को स्थापित किया है व कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया है यदि न्यायपालिका ऐसा न कर पाते तो केन्द्रीय सरकार कार्य ही नहीं कर पाती।

10. प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए :–

भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों एवं कार्यों के इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसने रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अन्त कर एक प्रगतिशील विचारों को जन्म दिया है, इसने संसद द्वारा ऐसे कानूनों को जो तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हो वैध घोषित करके उसे प्रोत्साहित किया है आज भारत वर्ष अपने न्यायपालिका से राजनीतिक एवं प्रशासनिक पक्षपात से उपर उठकर व्यवहार तथा कार्य करने की अपेक्षा करता है ।

नगरिक अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी देश के लिए नितान्त आवश्यक है इसी बात को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में न केवल मौलिक अधिकारों की बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को भी व्यवस्था की गयी है, जिससे ये अधिकार न केवल कागज पर बने रहे, बल्कि इन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से अमल में भी लाया जा सके जिससे संविधान की सर्वोच्चता का पालन हो सके ।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय न्यायपालिका संविधान को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकुल विकसित किया है, न्यायपालिका संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का जागरूक रक्षक है उसने व्यवस्थापिका के अतिक्रमण से कार्यपालिका के अधिकारों की रक्षा की है वह संसद द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है, जो संविधान के विरूद्ध हो, अपनी इस शक्ति के द्वारा न्यायपालिका संविधान की प्रभुता व सर्वोच्चता की रक्षा करता है, जब कभी संविधान के किसी अनुच्छेद या व्याख्या के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे इस संबंध में निर्णय देने का अधिकार होता है और यह निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है, न्यायपालिका के अभाव में सच्चा इन्साफ नहीं हो सकता और न ही कानून का पालन ही किया जा सकता है।

वहां निरंकुशता छाई रहती है या अराजकता परिणामतः राष्ट्र बिखरने की अवस्था में आ जाता है। पाषाण युग से लेकर आज तक सभ्यता के जितने सोपान मनुष्य जाति ने पढे हैं उनमें न्याय की सर्वोच्चता श्रेष्ठ है, व्यवस्थित जीवन जीने के लिए न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक है यदि न्याय का दीपक अंधकार से ढक जाये तो उससे उत्पन्न अंधकार का अनुमान लगाया जाना अत्यधिक कठिन है। इसीलिए कहा जाता है कि "न्यायपालिका देश की आत्मा है, प्राण है।"

संदर्भ ग्रंथ

1. गार्नर–पोलिटिकल साइंस एण्ड गौरमेंट, पृष्ठ–722
2. मिस्टर जस्टिस बोस –इन राम सिंग बर्सेस स्टेट आफ देहली एण्ड एनादर पृष्ठ – 308
3. मुनरो डब्ल्यू बी–दि गौरमेंट ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट, पृष्ठ – 571
4. कुलेंडटेंड लिगल पेपर्स, पृष्ठ – 295
5. हगडे के एस–दि क्रिसिस इन इंडियन जुडिसरी पृष्ठ – 75
6. अग्रवाल आर सी–भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ–35
7. डॉ जैन पुखराज–भारत का संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान, पृष्ठ – 179

शोध उपक्रम

ISSN
0976-7894

अंक
37

संपादक - डॉ. रामकुमार बेहार, श्रीमती निर्मला बेहार

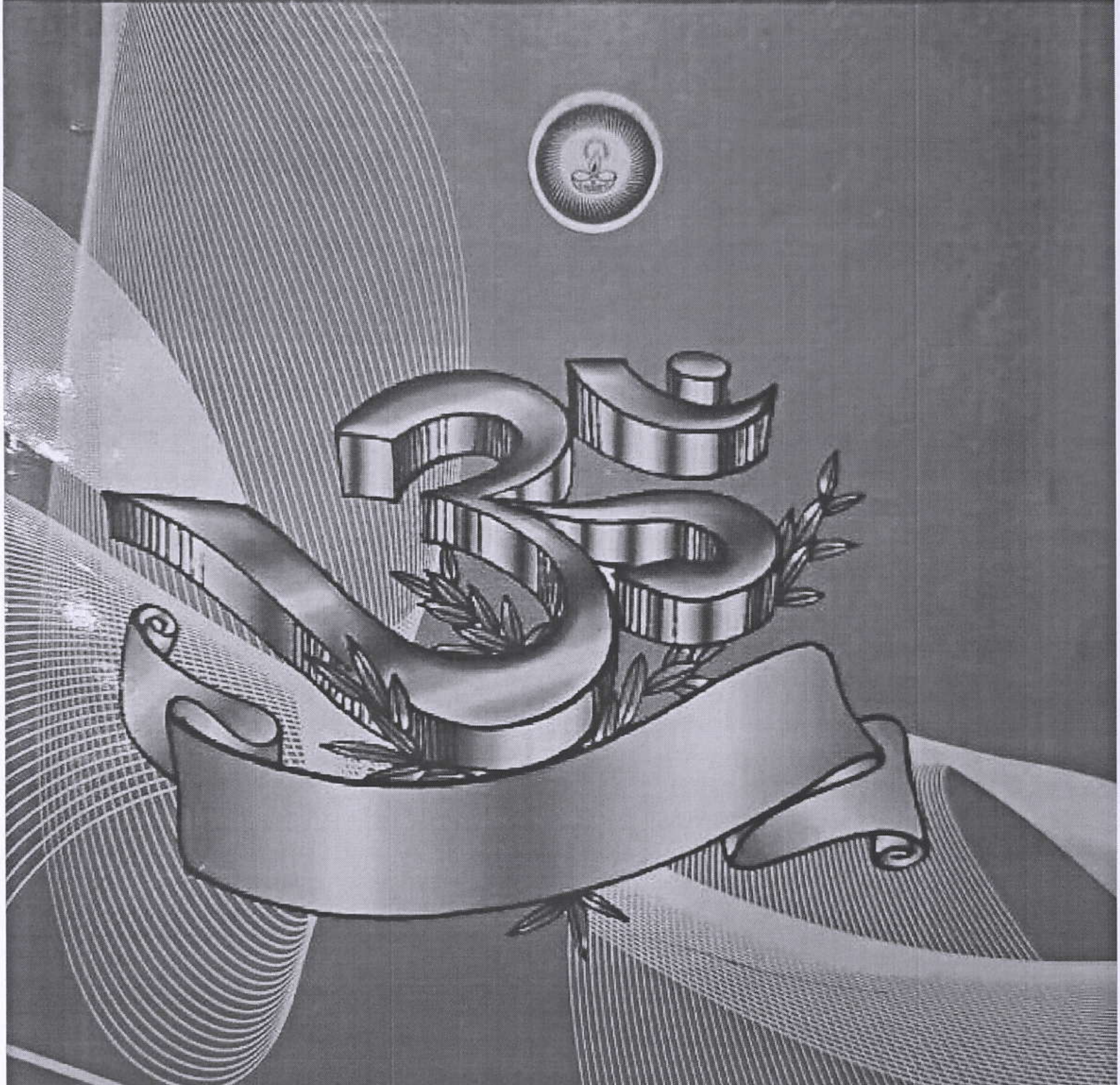

प्रकाशक
छत्तीसगढ़ शोध संस्थान, 370, बेहार मार्ग सुन्दर नगर रायपुर छ.ग.

शोध उपक्रम - अंक 37, (अप्रेल 2014) विवरणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	भारतीय संविधान में 1950 से 1967 के अवधि में न्यायिक पुनवरावलोकन अधिकार का व्यवहारिक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन	डॉ0 ए.एल. ध्रुवंशी	5
2.	नारी चेतना तथा सशक्तिकरण	प्रो. व्ही.आर. लोहानी डॉ. के.आर. जाटवर	9
3.	उत्तरी छत्तीसगढ़ में शस्य गहनता एवं शस्य संयोजन	गणेश राम राकेश	12
4.	पंचायती राज व्यवस्था में रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन	डॉ. श्रद्धा गिरोलकर	15
5	शिक्षा एवं बालश्रम डॉ. श्रद्धा गिरोलकर,	कु. मोन्सी वर्गीस डॉ. अशविनी महाजन, आनंद वर्गीस	18
6	"लिंग–भेद : समस्या और समाधान"	डी.एस. मरावी वंदना पाण्डेय	22
7	जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेटेन्ट प्रणाली और उसका प्रभाव	गणेश राम राकेश	26
8.	बाल श्रम की विभीषिका	डॉ. मंजुलता कश्यप	29
9	भारत में महिला सशक्तिकरण	डॉ. शुभ्रा मिश्रा	33
10	सृष्टि में तरूओं की उत्पत्ति	डॉ. नीलांजना जैन	37
11.	धार्मिक ग्रंथ और स्त्री अस्मिता	डॉ. सुनीता राठौर	39
12	पंचायती राज व्यवस्था–आवश्यकता, महत्व, समस्या व सुझाव	श्रीमती लक्ष्मी लेकाम,	42
13	आतंकवाद : 21वीं सदी की वैश्विक चुनौती Dr. Geetanjali Chandrakar	Dr. Grish Kant Pandey] Dr. P.K. Kadwe	47
14.	"निजी विद्यालयों के छात्र व छात्राओं में निर्देशन की आवश्यकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन"	रानिका भोसले	53
15	सल्तनतकाल में सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समन्वय	डॉ. दिलीप कुमार राव	58
16.	जनसमस्याओं के निवारण में नये जिलों के गठन का प्रभाव	डॉ. डी.एन सूर्यवंशी प्राचार्य अतुल विश्वकर्मा	60
17.	महिला नेतृत्व और छत्तीसगढ़ का आंकलन	डॉ. निशा शर्मा	63
18	महिला आरक्षण विधेयक एक राजनैतिक एवं सामाजिक विश्लेषण	डॉ. निशा शर्मा	66
19	रोगकाल में निद्रा का महत्व डॉ. निधि मरकाम	डॉ. डी.के. कटरिया डॉ.गुणवन्ती.रात्रे	70
20	PSYCHOPATHOLOGICAL CONCEPT OF AYURVEDA	DR RUPENDRA .Chandrakar DR PRAVANJAN Acharya	74
21	वर्तमान जीवनशैली में पथ्यापथ्य आहार–विहार की उपयोगिता	डॉ.श्रीकांत नायक डॉ.जी.आर. रात्रे डॉ.डी.के.कटारिया	76
22.	दशविध परीक्ष्य विषय का ऐतिहासिक विवेचन डॉ. प्रेमा भगत	डॉ. रूपेन्द्र चन्द्राकर डॉ. जी.आर. रात्रे	80
23.	'प्रमेह' व्याधि –एक विवेचनात्मक अध्ययन डॉ. एल. सी. हर्जपाल	डॉ. अंकिता चौबे डॉ. श्रीमति गुणवंती रात्रे	85

ISSN-0976-7894

भारतीय संविधान में 1950 से 1967 के अवधि में न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार का व्यवहारिक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

डॉ० ए.एल. ध्रुवंशी

न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय "न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना है ।

प्रस्तुत शोध पत्र का सार यह है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान को देश की सर्वोच्च विधि घोषित किया जाता है तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए संविधान में उल्लेख कर दिया जाता है । परिणाम स्वरूप जनाधिकारों से संबंधित व्यवस्थाएं भी संविधान का अंग बन जाने के कारण देश की सर्वोच्च विधि बन जाती है लेकिन संसद के कोई भी अंग इन संवैधानिक सर्वोच्चता का उल्लंघन न करे इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का है यही कारण है कि आज विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्र के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को गौरव के साथ स्वीकार किया है ।

भारतीय संविधान न्याय स्वतंत्रता समानता और विश्वबंधुत्व को मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है, उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग संविधान में अंतर्निहीत एवं स्वआरोपित सीमाओं में रहते हुए किया है । संविधान लागू होने की तिथि से आज तक मौलिक अधिकारों वाला अध्याय सबसे अधिक विवादास्पद रहा, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार का प्रयोग उच्चतम न्यायालय ने सर्वाधिक मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही किया है, कुछ विवादों के निर्णयों ने तो भारतीय संवैधानिक इतिहास को एक नये आयाम दिए हैं । संविधान के वे अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के प्रयोग को अनुमति देते हैं भाग–3 के मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद 13(2) और 32 भी हैं । संविधान का अनुच्छेद 13(2) मूलभूत अधिकारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देता है, अनुच्छेद 13 इन विधियों की स्थिति स्पष्ट करता है, जो मूल अधिकारों की असंगति में है अथवा उन्हें न्यून करने की प्रकर्षित से सम्पन्न है ।

1950 से 1967 तक का काल

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के क्रियान्वित होने के बाद से अर्थात 1950 से 1967 तक बिना किसी बाधा के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग किया उच्चतम न्यायालय ने अपने इस कार्यकाल में हजारों की संख्या में आये मुकदमों पर निर्णय दिए तथा इस तरह अपनी शक्ति का प्रयोग किया कि वह सुस्पष्ट व सुनिश्चित सी प्रतीत होती रही, जिसका न केवल नागरिक जीवन पर बल्कि राष्ट्रीय जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । न्यायालय ने कुल मिलाकर संविधान की धाराओं एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग किया है, यह विभिन्न मामलों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है ।

प्रकरण क्रमांक–1 : ए. के गोपालन बनाम मद्रास (वर्तमान चेन्नई) राज्य :–

इस प्रकरण में यह स्पष्ट कर दिया कि "किसी व्यक्ति को उसके प्रांण या दैहिक स्वतंत्रता से

स.प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग) शास० एल०एल० शुक्ल महाविद्यालय
सीपत जिला–बिलासपुर (छ०ग०)

ISSN-0976-7894
शोध उपक्रम -37

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं ।" इस प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यायालय व्यवहार में "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार करता है ।" "कानून के उचित प्रक्रिया को" नहीं । न्यायालय ने संविधान के अधिनियम 1950 की व्याख्या करते हुए कहा कि "जब विधान मण्डल या पार्लियामेंट जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण के संबंध में कोई कानून बना देती है तो न्यायालय इसे वैध या अवैध घोषित नहीं कर सकती अर्थात न्यायालय को विधान मण्डलों द्वारा विधि के अनुसार पास किये गये कानूनों को चाहे वे कितने ही अनुचित क्यों न हो, असंवैधानिक या शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उस संबंध में विवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जावे । इस मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय का कार्य उचित–अनुचित, नैतिक–अनैतिक अथवा अच्छे या बुरे कानूनों की जांच करना नहीं है बल्कि विधि के अनुसार अपराधियों को दण्डित करना है ।

प्रकरण क्रमांक–2 : रमेश थापर बनाम मद्रास (वर्तमान चेन्नई) राज्य :–

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुच्छेद 19(1), (2) प्रदान करते हैं कि "सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा ।"

रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य प्रकरण में अर्जीदार एक अंग्रेजी साप्ताहिक "क्रास रोड" का मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक था, यह साप्ताहिक बंबई (वर्तमान मुंबई) से प्रकाशित होता था। मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949 के अंतर्गत उक्त साप्ताहिक को मद्रास राज्य के प्रवेष पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्जीदार ने एक याचिका द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मद्रास (वर्तमान चेन्नई) सरकार के आदेश तथा अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी कि इससे उसके वाक स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा जिसके अंतर्गत पत्रिका के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्राधिकार प्राप्त है, असंवैधानिक है, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है क्योंकि आधुनिक समाज में प्रचार व परिपालन के बिना बोलना तथा प्रेस की स्वतंत्रता निरर्थक होगी न्यायालय ने इस मत की पुष्टि की और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इन स्वतंत्राओं को तभी सीमाबद्ध किया जा सकता है जब इसके दुरूपयोग से राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़े अन्य किसी दशा में नहीं ।

प्रकरण क्रमांक–3 : बम्बई (वर्तमान मुंबई) राज्य बनाम बलासारा :–

विधि निर्वाचन का यह सिद्धांत है कि यदि किसी अधिनियम का एक भाग अविधि मान्य है तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि पूरा अधिनियम ही अविधिमान्य है ।

बम्बई राज्य बनाम बलासारा प्रकरण में बम्बई प्रतिषेध अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई । इस अधिनियम के कुछ उपबंध जो सरल औषधि तथा श्रृंगार की वस्तुओं को प्रभावित करते थे, अनुचछेद 19(1) (च) के अतिक्रमण के कारण असंवैधानिक घोशित कर दिये गये और न्यायालय ने कहा कि शेष उपबंध विधि मान्य है । विधि द्वारा समान संरक्षण का यह आशय नहीं है कि राज्य को भिन्न–भिन्न उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण का अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य को भिन्न–भिन्न व्यक्तियों से निपटना होता है, जिनकी भिन्न–भिन्न समस्याएं होती है उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि यदि कोई विधि किसी स्पष्ट परिभाषित वर्ग के संबंध में प्रयुक्त की जाये तो वह गलत नहीं होगी और उस पर इस आधार पर समान संरक्षण न देने की आपत्ति नहीं की जा सकती कि उसका अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोग नहीं । न्यायालय ने कहा कि यदि एक कानून किसी वर्ग विशेष के सदस्यों पर एक समान लागू होता है तो उसी आधार पर चुनौती नहीं

ISSN-0976-7894
शोध उपक्रम -37

मौलिक अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण यह असंवैधानिक है ।

भारतीय उच्चतम न्यायालय ने पिटीशनरों के द्वारा दिये गये तर्कों को अस्वीकार करते हुए भी निर्धारित किया कि संविधान के संशोधन की शक्ति, जिनमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है अनुच्छेद 368 में निहित है अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त "विधि" शब्द के अंतर्गत केवल कानून आते हैं जो सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित किये जाते हैं, न कि संवैधानिक संशोधन जो संवैधानिक शक्ति के प्रयोग द्वारा पारित किये जाते हैं, अतएव अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन संवैधानिक होंगे, भले ही वे मौलिक अधिकारों के विरूद्ध क्यों न हो ।

प्रकरण क्रमांक–7 : सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य :–

संविधान का 17 हवां संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 (क) और नवम अनुसूची में संशोधन किया गया था, जिसका उद्‌देश्य पंजाब के भूमि पट्टा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केरल और मद्रास (चेन्नई) राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था । उक्त मामले में 17 वें संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गयी थी । शंकरी प्रसाद के मामले में दिये गये अपने निर्णय का अनुमोदन किया । उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि धारा 368 द्वारा प्रदत्त शक्ति में मौलिक अधिकारों को छीन न लेने का अधिकार भी सम्मिलित है । न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि संविधान निर्मातागण मौलिक अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते तो निश्चित ही उन्होने इसके बारे में संविधान में उपबंध अथवा प्रावधान का समावेश किया होता ।

भारतीय संविधान न्याय स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व को मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है इन सिद्धांतों की पूर्ति में न्यायपालिका ने विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, भारतीय संविधान में विभिन्न राजनैतिक दृष्टिकोणों ... है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था एक ... के रूप में परिलक्षित होती है, समयानुसार ... के निर्णयों में विभिन्नता भी दिखाई देती है, ... न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधि... प्रयोग संविधान में अंतर्निहीत एवं स्व आरोपित ... में रहते हुए किया है ।

इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता ... कि 1950 से 1967 के अवधि में उच्चतम न्यायालय ... न्यायिक पुनरावलोकन के निर्णयों पर प्रभा... भूमिका निभायी है जिससे भारत की राजनै... सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में भी वि... सकारात्मक परिवर्तन हुए ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कश्यप सुभाष – संविधान की आत्मा
2. पाण्डेय जी.एस. – भारत का संविधान
3. भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 एवं 32
4. आस्टिन जी – दि इंडियन कास्टीट्यूशनल ... स्टोन आफ एनेशर्न पृष्ठ–50
5. सीखई एच.एम. – कांस्टीट्यूशन लॉ आफ ... पृष्ठ–620
6. भारतीय संविधान अनुच्छेद 21
7. ए. आई. आर. – 1950 एस.सी. 27
8. ए. आई. आर. – 1964 एस.सी. 381
9. टोपे टी. के. – दि कांस्टीट्यूशन आफ ... पृष्ठ–313
10. जैन एम. पी. – भारतीय संवैधानिक ... पृष्ठ–432

कला परंपरा

पर्यटन एवं तीरथधाम अंक

संपादक

डी.पी. देशमुख

मूल्य – 500 रु.

ISSN-0976-7...